खण्ड-266, अंक-7
बुधवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1888
(11 मई, 1966 ई0)

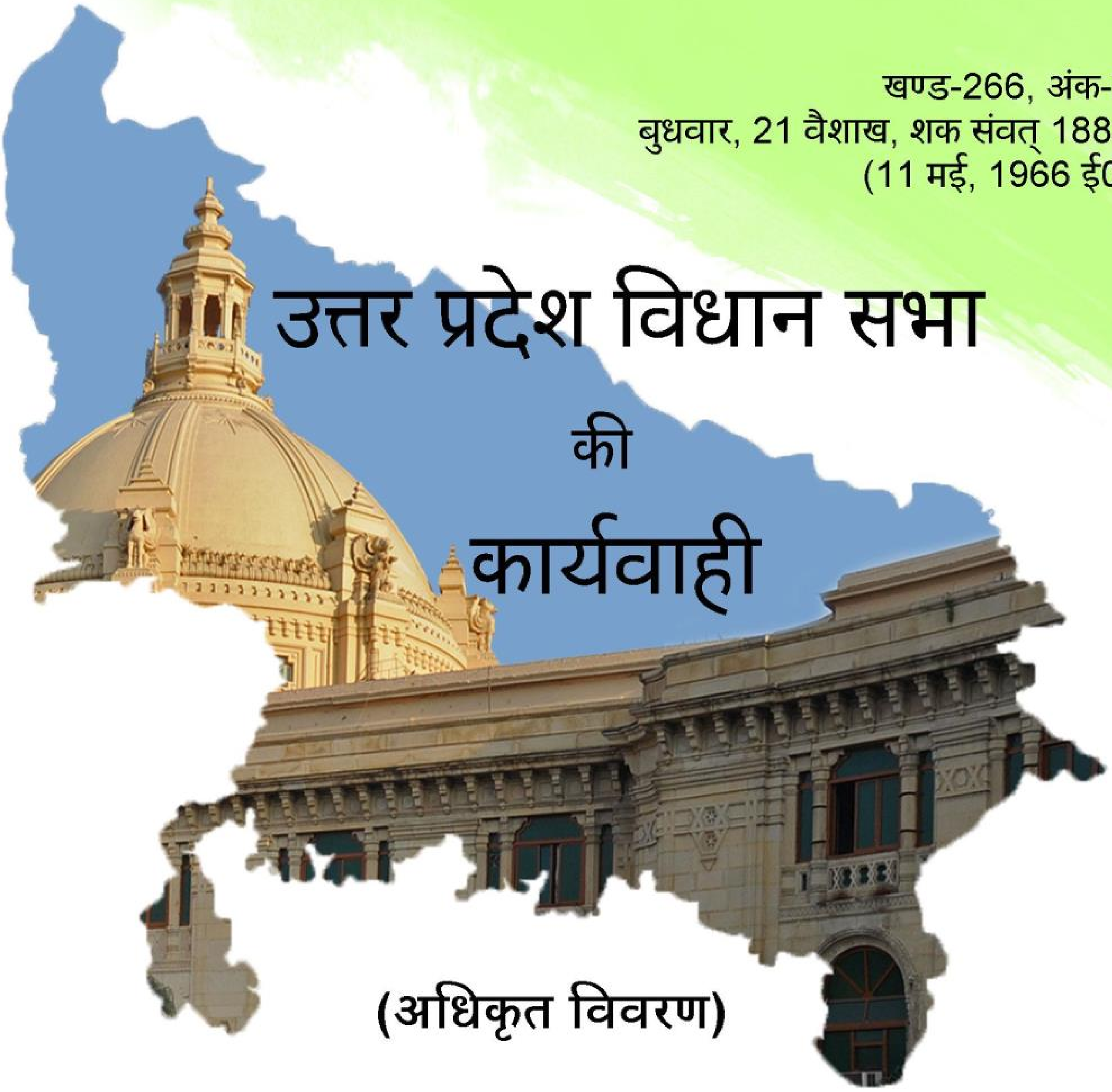

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 266 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	७१९–७२२
गणपूर्ति न होने के कारण सदन का स्थगन	७२३
प्रश्नोत्तर	७२३–७५६
विधान सभा के सदस्यों को सदन में आने से रोकने के संबंध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	७५७–७६०
भूख हड़ताल करने वाले गन्ना कामदारों तथा सूती मिल उझानी, जिला बदायूं के मजदूरों के साथ पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	७६०–७६२
प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की मांगों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	७६२
विधान सभा की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव (जारी)	७६३–७६४
बाजार में वनस्पति घी के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	७६४–७६५
विधान सभा की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	७६५–७६७
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	७६७–७७४
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा (समाप्त) ..	७७४–७७५
नस्थियां	७७६–७९२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ मई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में गणपूर्ति के अभाव में पूर्वान्ह ११ बजकर ५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२४

अक्षवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णासिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभान गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगर, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण सिनहा, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीश प्रसाद पांडेय, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीश शरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारी लाल विप्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री

बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुट बिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय , श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजय कुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर,श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, राजस्व मंत्री, श्री हुकुम सिंह विसेन, तथा उप मंत्री, डा० राम नारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

गणपूर्ति न होने के कारण सदन का स्थगन

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....

श्री अधिष्ठाता--

अभी चूंकि सदन में वांछित गणपूर्ति नहीं है इसलिये मैं सदन को १ घंटे के लिये स्थगित करता हूं ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सूबे में जनता इस बढ़े हुये ४ आना लगान की वृद्धि पर असन्तोष व्यक्त कर रही है.....

श्री अधिष्ठाता--

आप गणपूर्ति होने के बाद जब सदन बैठे तब अपने विचार व्यक्त करें, अभी हम एक घंटे के लिये स्थगित करते हैं ।

(इसके उपरान्त ११ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ । १२ बजकर १० मिनट पर सदन की कार्यवाही, श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

†प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ मई, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अंतर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जनशक्ति योजनान्तर्गत इलाहाबाद जिले में सड़कों का निर्माण

*१--श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जन-शक्ति योजना से इलाहाबाद जिले की सड़क जो सैदाबाद से सिरसा घाट, टेला घाट से बरौत व बरौत से बिठौली-दुर्गागंज रोड व जंघई से दुर्गागंज तक तथा धनपुर से बिठौली तक गत वर्ष मंजूर की गई है वह कब तक पूरी हो जायेगी और विलम्ब का कारण क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री रामर्मूति)--

प्रत्येक सड़क की स्थिति निम्नरूप में दी जाती है :--

१--सैदाबाद से सिरसाघाट (सिरसिया) सड़क पर मिट्टी का कार्य ९५ प्रतिशत तथा पुलियों का काम लगभग २५ प्रतिशत पूरा हो चुका है । धनाभाव के कारण निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि इस सड़क पर काम कब तक पूरा हो जायगा ।

२--बरौत से दुर्गागंज } इन सड़कों पर काम जिला परिषद् द्वारा निष्पादित हो रहा है ।
३--जंघई से दुर्गागंज } आशा है कि १९६६-६७ के अन्त तक काम पूरा हो जायगा ।

४--धानपुर से बिठौली--धनाभाव के कारण अभी काम आरम्भ नहीं हुआ है । अभी से निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि इस सड़क पर काम कब तक पूरा हो सके ।

५--टेला घाट से बरौत के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

---

†उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत छापे गये ।

*२—श्री बैजनाथ पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों पर क्रमशः कितना धन व्यय होगा तथा इनकी लम्बाई कितने मील की होगी ? किस विभाग की देख-रेख द्वारा ये बनेंगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रत्येक सड़क की स्थिति संलग्नक में स्पष्ट कर दी गई है । टेलाघाट से बरौत सड़क के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७६ पर ।)

*३—श्री बैजनाथ पांडेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हंडिया ब्लाक के अन्तर्गत जनशक्ति योजना द्वारा मुडरी बांध, जिसका कि शिलान्यास केन्द्रीय मन्त्री, श्री के० एल० राव ने किया है, कब तक बन जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

गुंडरी बांध के नाम से नहीं बल्कि गुंडरी बघौली नाला के नाम से योजना इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है । इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद यदि इस योजना का निर्माण उपयोगी समझा गया, तो इसका प्राक्कलन तैयार किया जायेगा और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त यदि आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो सकी तो निर्माण-कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस योजना पर काम कब तक पूरा हो जायेगा।

आलू की खरीद

*४—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं), श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर), डा० रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सही है कि यू०पी० सहकारी संघ ने दिनांक १० मार्च, १९६६ से १० रु० प्रति मन की दर से आलू की खरीद प्रदेश के कुछ जिलों की मन्डियों में प्रारम्भ की थी ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

यू० पी० सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ ने दिनांक ५ मार्च, १९६६ को अपने परिपत्र द्वारा प्रदेश के आलू उत्पादक जिलों की प्रमुख मंडियों की सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के माध्यम से १० रु० प्रति मन की दर से आलू खरीदने के लिये आदेश प्रसारित किये ।

*५—श्री शिवराज सिंह, श्री भगवान सहाय, डा० रघुनाथ सिंह तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या यह सही है कि उपरोक्त खरीद चन्द रोज करने के बाद रोक दी गई ? यदि हां, तो कब से कितना आलू खरीद कर के और क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां ।

आलू की खरीद दिनांक १३-३-१९६६ से रोक दी गई तथा उपरोक्त समय में १६,९०० मन आलू खरीदा गया । पर १७-३-१९६६ को आलू की खरीद १० रु० प्रति मन की दर से करने के लिये पुनः आदेश जारी किये गये ।

बोनस का भुगतान न करने वाले प्रतिष्ठान

*६—श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न संख्या ३४, नत्थी (ग) दिनांक २ मार्च, १९६६ के उत्तर में उल्लिखित उन प्रतिष्ठानों के नाम बताने की कृपा करेगी जो किसी कारण से ३१ जनवरी,

१९६६ तक बोनस नहीं वितरण कर सके ? क्या सरकार उन सभी कारणों पर भी प्रकाश डालेगी जिसके कारण वितरण नहीं हुआ ?

श्री बनारसी दास--

प्रतिष्ठानों की सूची जिन्होंने ३१ जनवरी, १९६६ तक बोनस का वितरण नहीं किया है सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट नया होने के कारण कुछ छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों को इसका समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया था जिसके कारण समय के भीतर भुगतान न हो सका ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७७–७७८ पर।)

सर तेजबहादुर सप्रू हास्पिटल, इलाहाबाद, के एक्स-रे विभाग में आय की जांच

*७--श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले के सर तेजबहादुर सप्रू हास्पिटल के अक्तूबर, सन् १९६४ से फरवरी, सन् १९६६ ई० तक एक्स-रे विभाग द्वारा प्राइवट एक्स-रे से कुल कितनी आय हुई और यह आय राजकीय कोषागार में जमा की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

सर तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद के एक्स-रे विभाग में एक्स-रे से हुयी आय के खाते (एकाउन्ट्स) में कुछ गड़बड़ी होने की सूचना मिली है । मामले की छानबीन पुलिस तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है ।

*८--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले के सर तेजबहादुर सप्रू हास्पिटल में एक्स-रे विभाग का चार्ज किस डाक्टर के पास है ? क्या वह डाक्टर एक्स-रे का विशेषज्ञ है और यदि नहीं है, तो विशेषज्ञ को क्यों चार्ज नहीं दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस अस्पताल में रेडियोलाजिस्ट का कोई पद नहीं है । अतः अस्पताल के मेडिकल अफसर इंचार्ज, जिन्होंने आगरा मेडिकल कालेज से एक्स-रे में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की है, एक्स-रे विभाग का चार्ज रखते आये हैं ।

*९--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सरकार यह बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के सर तेजबहादुर सप्रू हास्पिटल में कोई डाक्टर एक्स-रे का विशेषज्ञ है ? यदि हां, तो कब से है और उसे एक्स-रे का चार्ज क्यों नहीं सौंपा गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां । एक्स-रे विशेषज्ञ एक डाक्टर ४ अक्तूबर, १९६४ से वहां हैं और उनको एक्स-रे का चार्ज देने के लिये अब आदेश दे दिये गये हैं ?

गोंडा जिले में नसबन्दी आपरेशन

*१०--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में पहली जनवरी, १९६६ से लेकर २० मार्च, १९६६ तक कुल कितने नसबन्दी आपरेशन कराये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गोंडा जिले में ७५० नसबन्दी आपरेशन इस अवधि में किये गये ।

*११—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन आपरेशन में से कितनों की उम्र ५८ साल से अधिक है या १८ साल से कम है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

दो की उम्र ५८ वर्ष से अधिक थी । १८ वर्ष से कम किसी की उम्र नहीं थी ।

*१२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री को यह मालूम है कि जिला स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों की अनुसूचित कार्यवाहियों के विरुद्ध प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने दिनांक १८ मार्च, १९६६ से जिलाधीश के बंगले के सामने अनशन प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो उन अनशन-कारियों का स्वास्थ्य कैसा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने १८ मार्च, १९६६ को जिलाधीश के बंगले के सामने अनशन प्रारम्भ किया था । परन्तु चौथे दिन वे अनशन तोड़ कर चले गये । उनका स्वास्थ्य संतोषजनक है ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सीमांत अंचलों में काम करने वाले डाक्टरों को सुविधायें

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो डाक्टर स्पेशल पुलिस फोर्स के साथ प्रदेश तिब्बत के सीमान्त अंचलों में भेजे जाते हैं उन्हें मैदान तथा अन्य स्थानों से क्या विशेष सुख-सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उन्हें निम्नलिखित विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं:

(१) विशेष खाने का सामान .. .. मुफ्त

(२) बर्फ तथा ठंडक से बचने के लिये कपड़े और सज्जा मुफ्त

(३) फुएल एलाउन्स (जाड़े में) .. १५ रु० प्रतिमास

(४) सीमान्त विशेष वेतन १२५ रु० से २५० रु० तक प्रतिमास .. .. .. वेतन के अनुसार

(५) उनके साथ जाने वाली वैयक्तिक सामग्री तथा बेसिक राशन की ढुलाई .. .. मुफ्त

*२—श्री झारखंडे राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को किसी स्तर से इस बात की शिकायत मिली है अथवा आग्रह प्राप्त हुआ है कि इन डाक्टरों के साथ पुलिस के उच्च अधिकारी सज्जनता का बर्ताव नहीं करते हैं और इन डाक्टरों को अनगिनत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां ।

*३—श्री झारखंडेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६२ के चीनी आक्रमण के बाद कितने-कितने डाक्टरों का ट्रांसफर स्पेशल पुलिस फोर्स में किया गया ? उनमें कितने गये, कितने नहीं गये और क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१९६२ के चीनी आक्रमण के पश्चात् स्पेशल पुलिस फोर्स में ३९ डाक्टरों की तैनाती के आदेश दिये गये, उनमें से १८ चिकित्सक वहां गये। १६ चिकित्सकों के तैनाती के आदेश उनके स्वास्थ्य के ठीक न रहने व घरेलू समस्याओं के आधार पर स्थगित कर दिये गये। शेष ५ डाक्टरों के मामले अभी विचाराधीन हैं।

ट्रैक्टर के लिये तकावी

*४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६५ से दिनांक ३० नवम्बर, १९६५ तक कितने लोगों के प्रार्थनापत्र भूमि बन्धक बैंक से ट्रैक्टर की तकावी लेने को पड़े हैं और कितने लोगों के चेक अभी लखनऊ की प्रान्तीय भूमि बन्धन बैंक आफिस में पड़े हैं और क्यों ? तथा इनकी नामवार सूची दिये जाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में सूचना अभी भी एकत्रित नहीं की जा सकी है।

इस समय ट्रैक्टर के ऋण के भुगतान के लिये कोई भी चेक नहीं पड़ा है। ऋण प्राप्तियों की सूची बैंक की परम्परा के अनुसार नहीं दी जाती।

जौनपुर जिले में जनशक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जौनपुर जिले में जनशक्ति योजनानुसार किन-किन विकास क्षेत्रों में कितना-कितना काम हो चुका है तथा कौन-कौन से नये विकास क्षेत्र इस जन शक्ति के अनुसार लिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

इस जिले में ग्रा० ज० श० योजनान्तर्गत केवल करंजिया कला विकास क्षेत्र ही स्वीकृत है। इस विकास क्षेत्र में जितना काम हो चुका है उसका विवरण संलग्नक "क" में दिया गया है। इस जिले का कोई नया विकास क्षेत्र इस योजना में नहीं लिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७७९ पर)

विकास खण्ड नवानगर के ग्राम सेवक का अवशेष वेतन

*६—श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड नवानगर, जिला बलिया के किन-किन ग्राम सेवकों का बढ़ोत्तरी वेतन जब वे आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्री के दिनांक १ अगस्त, १९५३ से ८ नवम्बर, १९५५ तक का बाकी है जब कि उनके द्वारा उक्त धनराशि के लिये दिनांक १ नवम्बर, १९५९, २९ दिसम्बर, १९५९ तथा ४ मई, १९६० को प्रार्थना-पत्र जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ तथा निदेशक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेश को भेजे गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

विकास खंड नवानगर, जिला बलिया, के केवल एक ग्राम सेवक, श्री विश्वनाथ सिंह, का जिला आजमगढ़ में पंचायत मंत्री पद के कार्यालय का वेतन बढ़ोत्तरी का धन अवशेष है।

उक्त धनराशि के भुगतान के विषय में कथित प्रार्थना-पत्र जिलाधीश कार्यालय तथा निदेशालय में प्राप्त नहीं हुये।

धर्मपुर सहकारी समिति

*७—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में सहकारी समिति लि० धर्मपुर, परगना डिबाई का चुनाव पिछले ७ साल से नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री बनारसी दास—

धर्मपुर सहकारी समिति की रजिस्ट्री दिनांक १४ मई, १९६० को हुई है। अब तक की अवधि में समिति में चार बार चुनाव हो चुके हैं।

*८—श्री हिम्मत सिंह—

क्या यह भी सही है कि सहकारी समिति लि०, धर्मपुर की पिछले ७ साल से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं।

समिति के संचालक मंडल की समय-समय पर मीटिंग होती रही है और हो रही है।

*९—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस समिति का आडिट पिछली बार कब हुआ तथा उसका रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसी दास—

समिति का पिछला आडिट बाबत वर्ष १९६३-६४ दिनांक ७ फरवरी, १९६५ को हुआ है। आडिट नोट को सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

*१०—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

[९वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोंडा जिले में जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*११—श्री गंगा प्रसाद तथा श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन सड़कें ली गई हैं? तथा क्या बेलसर से उमरी-बेगमगंज होते हुये परसपुर घौरहरा घाट बांध तक लगभग साढ़े ६ मील सड़क मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत लेने के लिये जिला परिषद् द्वारा सिफारिश अभी हाल में आई है? क्या उसे सरकार लेने का विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—

ग्राम जन शक्ति योजना में गोंडा जिले में १५ मार्च, १९६६ जो सड़कें ली गई उनकी तालिका संलग्न है। बेलसर से उमरी बेगमगंज होते हुये परसपुर घौरहरा घाट बांध तक की

६ १/२ मील सड़क को ग्राम जनशक्ति योजना में लिये जाने के सम्बन्ध में जिला परिषद् ने कोई सिफारिश नहीं भेजी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७८०–७८१ पर।)

*१२—श्री मंगला प्रसाद तथा श्री शीतला प्रसाद—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा कचहरी से कटुवा नाला तक जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत सड़क कब बनाने जा रही है ?

*श्री राममूर्ति—

इस नाम की कोई सड़क इस योजना में स्वीकृत नहीं है । अतः इसके बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

दहगवां ब्लाक में अनाज रखने के स्थान बनाने के लिए सहायता

*१३—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खंड दहगवां में ऐसे कितने सरपंच तथा प्रधान जिन्हें कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में मवेशी खाना बनाने के लिये सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री राममूर्ति—

बदायूं जिले के विकास खंड दहगवां में वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में मवेशी खाना बनाने के लिये किसी भी सरपंच तथा प्रधान के लिये सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

*१४—श्री उल्फत सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खंड दहगवां में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी सहायता अनाज रखने के लिये स्थान बनाने के लिये वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में दी गई ?

श्री राममूर्ति—

बदायूं जिले के विकास खंड दहगवां में वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में अनाज रखने के लिये स्थान बनाने के लिये ५१६ रु० की सहायता दी गई, जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७८२ पर)

हापुड़ विकास खण्ड अधिकारी, श्री बी० एम० बत्रा के विरुद्ध जांच

*१५—श्री प्रेम सुन्दर तथा श्री जमादार सिंह (जिला मेरठ)—

सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि विकास खंड अधिकारी श्री बी० एन० बत्रा, हापुड़, जिला मेरठ जिन्हें यहां पर लगभग ३ १/२ वर्ष हो गये हैं, के स्थानान्तरण के आदेश ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर, मेरठ, द्वारा लगभग चार माह पूर्व जिला सहारनपुर के लिये शिकायत के आधार पर दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण के आदेश सरकार द्वारा क्यों रद्द कर दिये गये ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, श्री बी० एन० बत्रा का स्थानान्तरण संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ द्वारा जिला सहारनपुर के देवबन्द खंड में माह सितम्बर, १९६५ में कर दिया गया था परन्तु बाद में यह स्थानान्तरण रोक दिया गया । श्री बत्रा के विरुद्ध शिकायतों की जांच उनकी उपस्थिति में हो सके इसलिये यह स्थानान्तरण स्थगित किया गया था ।

*१६—श्री प्रेमसुन्दर तथा श्री जमादार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि विकास खंड अधिकारी, हापुड़ मेरठ के विरुद्ध अनेक भ्रष्टाचार की शिकायतें जिला अधिकारी व सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। विकास खंड अधिकारी, हापुड़ के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी जांच की गई और निराधार पाई गईं।

*१७—श्री प्रेम सुन्दर तथा श्री जमादार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ जून, १९६५ को प्रमुख विकास क्षेत्र, हापुड़ (मेरठ) ने वहां के बी० डी० ओ० की शिकायतों के विरुद्ध जांच लिये एक तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त की थी तथा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तथा सरकार को दे दी थी जिसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई, ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति—

प्रमुख विकास खंड, हापुड़ ने बी० डी० ओ० के विरुद्ध जांच के लिये एक तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त की थी और रिपोर्ट भी प्राप्त हुई परन्तु उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि ऐसी कमेटी बनाने का उनको कोई अधिकार न था जो कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर सकें।

मछलीशहर—मड़ियाहूं सड़क

*१८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में मछली शहर से मड़ियाहू तक की सड़क को पक्की कराने के लिये वित्तीय वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में कुल कितनी धनराशि सरकार द्वारा व्यय की गई उसमें से कितने धन का व्यय हो चुका तथा सड़क को पक्की बनाने में कितना समय और लगेगा ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्नगत अवधि में कुल ७४,३७८ रु० व्यय किया गया है। जिला परिषद्, जौनपुर की वित्तीय स्थिति को देखते हुये यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि सड़क को पक्का बनाने में कितना समय और लगेगा।

डुमरियागंज—सहजनवां बांध

*१९—श्री जगदीश प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में बनने वाले डुमरियागंज—सहजनवां बांध का कार्य वह कब से शुरू करने जा रही है : और इसके पूरा होने की कब तक आशा है ?

श्री राममूर्ति—

अभी इस सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

वाराणसी जिले को जनशक्ति योजनान्तर्गत अनुदान

*२०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले को जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत कितना हरिजन एलाट किया गया है और उसमें दिनांक १ जनवरी, १९६६ तक कितना रुपया किन-किन ब्लाकों में खर्च किया गया है?

श्री राममूर्ति--

इस योजना में वाराणसी जिले में स्वीकृत कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष १९६५-६६ तक कुल ४६.३७ लाख रुपया स्वीकृत (एलाट) किया गया जिसमें से १-१-६६ तक ३३.७३ लाख रुपया व्यय हो चुका है। व्यय का विकास क्षेत्र वार विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७८३ पर)

भारत सेवक समाज को सहायता

*२१--श्री झारखंडेराय--

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश भारत समाज को वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में अलग-अलग कुल कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गयी? क्या सरकार बताएगी कि क्या भारत सेवक समाज ने इन वर्षों का अपना व्यय ब्योरा सरकार के पास भेजा है?

श्री राममूर्ति--

अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों द्वारा भारत सेवक समाज को वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में दिए गए अनुदान का विवरण संलग्न है।

जी हां।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७८४ पर)

स्टाफ नर्सों का चिकित्सावकाश वेतन, जमानत का रुपया तथा फण्ड

*२२--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या यह सत्य है कि डफरिन अस्पताल, कानपुर, जिला अस्पताल, रायबरेली, जिला अस्पताल, बरेली व सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में ऐसी बहुत सी स्टाफ नर्सें हैं जिनको सन् १९६४ तथा १९६५ का चिकित्सावकाश वेतन अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

डफरिन अस्पताल, कानपुर; सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा और जिला अस्पताल, रायबरेली में ऐसी कोई भी स्टाफ नर्सें नहीं हैं जिनका १९६४, तथा १९६५ का चिकित्सावकाश वेतन अभी तक न दिया गया हो; लेकिन जिला चिकित्सालय, बरेली में ऐसी तीन नर्सें हैं जिनका चिकित्सावकाश वेतन अभी तक नहीं दिया जा सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये अपना अवकाश थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए बढ़ाती रहीं। परन्तु आशा है कि अब भुगतान शीघ्र ही हो जायगा।

*२३--श्री सूबेदारसिंह--

क्या उपरोक्त चारों अस्पताल में ऐसी स्टाफ नर्सें भी हैं जिन्हें स्थायी हुए (कन्फर्म हुए) तीन साल से अधिक हो गए हैं और उन्हें वार्षिक वृद्धि का रुपया नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला अस्पताल, रायबरेली और सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में ऐसी कोई भी स्टाफ नर्स नहीं है जिनको स्थायी हुए तीन वर्ष से अधिक हो गए हों और उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान न किया गया हो। किन्तु डफरिन अस्पताल, कानपुर में एक, और जिला अस्पताल, बरेली में दो ऐसी नर्सें अवश्य हैं जिनको वार्षिक वेतन वृद्धि का रुपया तीन साल से अधिक हो जाने पर भी नहीं दिया जा सका। छान-बीन करने के बाद यह पता चला है कि नीचे के दफ्तरों में इन की सर्विस बुक तथा और कागजात की तैयारी में देरी हुई है। निदेशक को आदेश दिए जायेंगे कि वे विलम्ब के कारणों को दूर करने की पूरी कोशिश करें।

*२४—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल कालेज, लखनऊ, लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर, जिला अस्पताल, बरेली व जिला अस्पताल, रायबरेली में कितनी स्टाफ नर्सों की जमानत (सिक्योरिटी) का रुपया तथा टी०ए० बिल का भुगतान होना बाकी है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेडिकल कालेज, लखनऊ में ४, लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में ६, जिला अस्पताल, बरेली में २ और जिला अस्पताल, रायबरेली में १ की जमानत के रुपयों का भुगतान करना बाकी है।

प्रशिक्षण काल में सभी ट्रेनीज को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने और तत्पश्चात् तीन साल तक सरकार की सेवा करने हेतु एग्रीमेंट बांड के अनुसार सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। यह सिक्योरिटी मनी नर्सों को तीन साल सरकारी नौकरी करने के पश्चात् ही उनके प्रार्थना-पत्र देने पर वापिस की जाती है।

टी० ए० बिल—मेडिकल कालेज, लखनऊ, लालालाजपत राय अस्पताल, कानपुर और जिला अस्पताल, रायबरेली में किसी भी नर्स का टी० ए० बिल का भुगतान बाकी नहीं है। जिला अस्पताल, बरेली में ३ नर्सों के टी० ए० बिल का भुगतान होना शेष है। इनके भुगतान के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

जनशक्ति योजनान्तर्गत ब्लाक

*२५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जो २१ जिले जन-शक्ति योजना में लिए गए हैं इनमें से कौन-कौन ब्लाक इस योजना में शामिल हैं और इन ब्लाकों के लिए कब और कितना-कितना धन व्यय कर सड़कों के निर्माण की व्यवस्था की गई?

श्री रामसूर्ति—

यह योजना प्रदेश के २३ जिलों में स्वीकृत है। प्रत्येक जिले के स्वीकृत ब्लाकों की† सूची संलग्न (क) पर है। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ब्लाकों के लिए सड़क निर्माण हेतु जो धन स्वीकृत किया गया था उसमें से अब तक कितना धन व्यय हो चुका है? कितनी लम्बाई की सड़कें बन चुकी हैं और कितनी शेष है?

श्री रामसूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

---

†छापी नहीं गयीं।

*२७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि जिन ब्लाकों का उक्त योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए धन स्वीकृत हुआ है उसे अधिकांश ब्लाकों में समय के अन्दर उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार बाराबंकी जिले के सबसे पिछड़े क्षेत्र हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास खण्डों को शामिल कर जिला ब्लाकों में काम नहीं हो पा रहा उनका रुपया इन ब्लाकों को सड़कों के निर्माण पर व्यय करने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

खण्ड विकास अधिकारी, भिठौरा के विरुद्ध जांच

*२८—श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री दयाराम शाक्य—

विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विकास खण्ड अधिकारी, भिठौरा, जिला फतेहपुर ने विकास खण्ड के एक व्यक्ति का २,५०० रु० जो ३० मार्च, १९६३ को पम्पिंग सेट के लिए स्वीकार हुआ था, सहकारी बैंक, भिठौरा से निकाल कर अपने पास रख लिया और उसे अपने खर्च में लगाए रहे और शिकायत किए जाने पर २० अगस्त, १९६५ को मय सूद के तहसील में जमा कर दिया? यदि हां, तो उक्त गबन के सम्बन्ध में उक्त खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—

जी हां, यह सत्य है कि विकास खण्ड भिठौरा में श्री श्रीपाल सिंह, निवासी सरयां को पम्पिंग सेट के लिए २,५०० रु० की धनराशि ३०-३-६३ को भुगतान की गई तथा क्षेत्रीय समिति लि०, भिठौरा में ३१-३-६३ को जमा कराकर श्री सिंह को रसीद दिलाई गई। इस धनराशि को २८-९-६३ में श्री श्रीपाल सिंह ने प्राप्त किया तथा श्री श्रीपाल सिंह ने १५-४-६५ में २,५५७ रु०, २५-४-६५ को १५० रु० तथा ३०-७-६५ को १० रु० कुल २,७१७ रु० खण्ड विकास अधिकारी, भिठौरा को तहसील में जमा करने हेतु दिया क्योंकि उन्होंने कार्य पूर्ण नहीं किया था। खण्ड विकास अधिकारी, भिठौरा ने २०-८-६५ को २,८३३.२९ रु० मय सूद तहसील, फतेहपुर में जमा कर दिया है। जमा की गई धनराशि में ब्याज के ११५.२९ रु० खण्ड विकास अधिकारी, भिठौरा ने स्वयं जमा किए थे। खण्ड विकास अधिकारी, भिठौरा के विरुद्ध इस मामले की जांच उप विकास आयुक्त (द०), इलाहाबाद के द्वारा की जा रही है।

विकास खण्ड, कल्यानपुर के ब्लाक प्रमुख, श्री मनोहर सिंह के विरुद्ध आरोप

*२९—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड, कल्यानपुर, जिला कानपुर ने ब्लाक प्रमुख ने अपने रिश्तेदार गांव सभा परगही कछार के प्रधान श्री दुलारे सिंह को कुक्कुट योजना के अन्तर्गत पोल्टरी फार्म खोलने के लिए धन दिलाया है जिस धन से प्रधान दुलारे सिंह ने आज तक कोई भी पोल्टरी फार्म नहीं खोला है बल्कि प्रधान दुलारे सिंह व ब्लाक प्रमुख तथा विकास खण्ड अधिकारी, कल्यानपुर ने आपस में मिलकर पोल्टरी फार्म के धन को बांट कर धन का दुर्विनियोजन कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा करा कर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड कल्यानपुर, जिला कानपुर से ब्लाक प्रमुख, श्री मनोहर सिंह ने अपने भतीजे प्रधान गांव, सभा बिजनौर श्री छेदा सिंह को कुक्कुट योजना के अन्तर्गत पोल्टरी फार्म खोलने के हेतु ४,००० रुपए की धनराशि दिलवाई है और जिस धनराशि से पोल्टरी फार्म आज तक नहीं खोला गया है और पोल्टरी फार्म की फर्जी कम्प्लीशन रिपोर्ट पर ४,००० रुपए की धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान छेदा सिंह व ब्लाक प्रमुख तथा विकास खण्ड अधिकारी ने पोल्टरी फार्म की धनराशि को आपस में बांटकर धनराशि का दुर्विनियोजन कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा करा कर कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(११ मई, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कें

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जन-शक्ति योजना के अनुसार जिलेवार कितनी-कितनी लम्बी सड़कें बन चुकी हैं और बढ़ाने की योजना है?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

रघौली, निवासी, डोमा को कुएं के लिए तकावी

*२—श्री रामसुन्दर पण्डेय—

क्या विकास मन्त्री दिनांक २९ जुलाई, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि डोमा से सीमेंट और ईंट की कीमत वसूल हो चुकी है और दिसम्बर, सन् १९६५ तक वापिस नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

श्री डोमा से सीमेंट और ईंट की कीमत केवल २४० रु० (दो सौ चालीस रुपए) तहसीलदार, कोसी द्वारा वसूल की गई थी जो प्रार्थी को अभी तक वापस नहीं की गयी है।

वसूल की गई धनराशि वापस करने के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही तहसीलदार, कोसी एवं राजस्व संचय अधिकारी के बीच चल रही है।

गोंडा जिला परिषद् में धन का दुरुपयोग

*३—श्री झारखंडेराय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि गोंडा जिला परिषद् में ३ लाख के गबन की सूचना सरकार को मिली है?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद् गोंडा के बारे में धन के दुरुपयोग तथा गबन आदि की शिकायतें मिली थीं परन्तु तीन लाख के गबन की कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडेराय—

यदि हां, तो इस विषय में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद् के लेखाओं का स्पेशल आडिट कराया जा रहा है।

आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ के छात्रों की हड़ताल

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ के ३५० छात्र और छात्राएं ७ फरवरी, १९६६ से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं और उनमें से कुछ की हालत बहुत ही चिन्ताजनक हो गई है ? और १० फरवरी, १९६६ ई० से सरकार ने अनिश्चित काल के लिए उपरोक्त विद्यालय को बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह सत्य नहीं है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ के ३५० छात्र और छात्रायें ७-२-१९६६ से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं और उनमें से कुछ की हालत चिन्ताजनक हो गई है। किन्तु यह सत्य है कि सरकार ने उपरोक्त विद्यालय को दस फरवरी, १९६६ सें अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया है जिसका कारण छात्रों द्वारा की गई हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति है।

महिला चिकित्सालय, नवाबगंज

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नवाबगंज, जिला बरेली के सरकारी महिला चिकित्सालय में बिलकुल दवा नहीं है और इमारत की मरम्मत व सफाई भी नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो कब से ? और क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

महिला चिकित्सालय, नवाबगंज जिला बरेली में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं। यह चिकित्सालय एक किराए के मकान में चल रहा है। मकान मालिक ने सन १९६० से इस भवन की मरम्मत और सफाई नहीं कराई है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है।

*७-८—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिए गए।]

*९-१०—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिए गए।]

गांव सभा, सरांय व अहरक को प्राइमरी पाठशालाओं के भवन के लिए अतिरिक्त अनुदान न मिलना।

*११—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डेवलपमेन्ट कमिश्नर उत्तर प्रदेश ने एक जी० ओ० नं० सी०-४/सी० बी० पू० बी० (बी०) लखनऊ, ८ अप्रैल, १९६३ को प्रदेश के सभी नियोजन

[श्री ऊदल]

अधिकारियों को प्राइमरी स्कूलों के भवन-निर्माण के अनुदान देने के संबंध में भेजा है जिसमें मैदानी क्षेत्रों का ४,००० की जगह ५,००० व पहाड़ी क्षेत्रों के लिये ५ हजार की जगह ७ हजार किया है? पहले ४ हजार मैदानी तथा ५ हजार पहाड़ी क्षेत्रों के लिये था? ब्लाकों द्वारा एजूकेशन अनुदान ढाई हजार दिया जाता था अब इस जी० ओ० के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों को १ हजार एडीशनल अनुदान उन स्कूलों को दिया जायगा जिनकी लागत ५ हजार तक है? यदि हां, तो ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की गांव सभा, सरांय, व गांव सभा, अहरक को अब तक उक्त जी० ओ० के मुताबिक एक-एक हजार का एडीशनल अनुदान क्यों नहीं दिया गया?

श्री राममूर्ति---

डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने अपने परिपत्र संख्या सी०-४०।बजट ब दिनांक ८-४-१९६३ द्वारा प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण के संबंध में आदेश भेजे हैं। साधारण तौर पर मैदानी क्षेत्रों में ३,००० रु० की लागत के भवन पर २५०० रु० (विकास खन्ड से १५०० रु० तथा शिक्षा विभाग से १,००० रु०) तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ४,००० रु० की लगत के भवन पर ३५०० रु० (विकास खन्ड, २५०० रु० तथा शिक्षा विभाग १००० रु०) विकास खन्ड के शिक्षा मद की ग्रान्ट तथा एजूकेशन विभाग को ग्रान्ट से देय हैं। उपर्युक्त अनुदान नुकयिस (मान्य आदर्श के अनुरूप) स्कूल भवन जिसकी लागत मैदानी क्षेत्रों में ५००० रु० हो तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ७,००० रु० होदी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गांव सभा कोई बड़ा भवन बनाना चाहे तो लागत का ५० प्रतिशत अनुदान समस्त सूत्रों से दिया जा सकता है।

गांव सभा सरांय व गांव सभा अहरक को अतिरिक्त अनुदान देने के लिये न तो क्षेत्रीय समितियों ने अभी स्वीकृति प्रदान की है और नही क्षेत्रीय समिति के शिक्षा मद में धनराशि उपलब्ध है जिसमे क्षेत्रीय समिति से स्वीकृति प्राप्त कर अतिरिक्त अनुदान का भुगतान किया जा सके।

गोलागोकरननाथ अस्पताल में डाक्टरनी न होना

*१२---श्री रामभजन (जिला खीरी)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री जिला खीरी के अन्तर्गत गोलागोकरन नाथ टाउन की जनाना डिस्पेन्सरी में, जिसमें कि लगभग एक वर्ष से लेडी डाक्टर नहीं है, डाक्टर के भेजने का शीघ्र प्रबन्ध करेंगे?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

उक्त चिकित्सालय में १३ मई, १९६५ से लेडी डाक्टर नहीं है। जब कोई लेडी डाक्टर उपलब्ध होगी, वहां भेज दी जायगी।

झांसी में बीड़ी प्रतिष्ठानों से न्यूनतम मजदूरी न मिलना

*१३---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि सहकारिता मंत्री को प्रश्नकर्त्ता द्वारा जनवरी सन् १९६६ के अन्तिम सप्ताह में इस आशय की लिखित शिकायतें मिली हैं कि झांसी में बीड़ी मजदूरों को एक रुपया चौदह आना व एक रुपया बारह आना प्रति हजार सरकारी आदेश के बाद भी नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बीड़ी मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--

इस आशय की एक लिखित शिकायत जनवरी, १९६६ में नहीं, किन्तु फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुई थी।

झांसी के जिन बोड़ो प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को निर्धारित वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है, उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा १२ के उल्लंघन की नोटिसें दी गई थीं, जिसके फलस्वरूप सोलह बोड़ो प्रतिष्ठानों ने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका रिट दायर की है। फिर भी श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत अपने दावे (क्लेम) दाखिल करें ताकि प्रतिष्ठान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही संभव हो सके।

मकनपुर मेले में मादक वस्तुओं की अवैध बिक्री

*१४--श्री शिवनाथ सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत मकनपुर मेले में दिनांक २१ जनवरी, १९६६ को शराब के ठेकेदार को शराब में मिला हुआ पानी अवैध चरस अत्यधिक मात्रा में बेचते हुए एस० डी० ओ०, बिल्हौर तथा पुलिस द्वारा पकड़ा गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां, ३१-१-६६ को न कि २१-१-६६ को परगना मैजिस्ट्रेट बिल्हौर तथा पुलिस द्वारा कथित शराब के ठेकेदार को नियत समय के बाद शराब बेचते हुए पकड़ा गया। तलाशी में चरस तथा संदिग्ध दशा में कुछ शराब की बोतलें और अन्य सामान मिला। शराब के ठेकेदार तथा उसके नौकर पर दो मुकदमे कायम किये गये। चरस के मुकदमे में दिनांक ५-२-६६ को न्यायालय द्वारा ३०० रु० जुर्माना किया गया। शराब का मुकदमा अभी पुलिस के तफतीश में है।

बहराइच जिले में नसबन्दी आपरेशन के सम्बन्ध में शिकायत

*१५--श्री अब्दुल हसीब खां तथा श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बहराइच जिले में नसबन्दी के आपरेशन मोहकमे में चकबन्दी व कलेक्शन व ब्लाक वगैरह के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा धोखा, लालच व दबाव देकर किया जाता है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

यह बात बिलकुल निराधार है कि बहराइच जिले में चकबन्दी का कार्य चकबन्दी व कलेक्शन व ब्लाक वगैरह के कर्मचारियों द्वारा धोखा, लालच या दबाव देकर किया जाता है।

*१६--श्री अब्दुल हसीब खां तथा श्री मुन्नूसिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि कैसरगंज अस्पताल में ग्राम पट्टी बंबियारी ब्लाक फखरपुर के श्री रामबली कुम्हार, जिनका आपरेशन ७ फरवरी, १९६६ को किया गया था, उनकी मृत्यु १२ फरवरी, १९६६ को अस्पताल में हो गई?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

श्री रामबली, पुत्र भगवान दीन की मृत्यु की सूचना सही नहीं है। वह जीवित और स्वस्थ हैं। वह पट्टी कमालपुर ब्लाक फखरपुर के रहने वाले हैं न कि ग्राम पट्टी बंबियारी के।

*१७—श्री अब्दुल हसीब खां तथा श्री मुन्नू सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला बहराइच में १ जनवरी, १९६६ से १५ फरवरी, १९६६ तक की अवधि में जो नसबन्दी के आपरेशन हुए हैं उनकी कुल संख्या क्या है और उनमें से ५० साल की आयु से ऊपर कितने व्यक्ति है ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

इस अवधि में ५४४ नसबन्दी के आपरेशन किये गये जिनमें केवल १४ व्यक्ति ५० वर्ष से ऊपर थ ।

चेचक निरीक्षकों की बेकारी

*१८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फरवरी, १९६६ के अन्त तक सभी चेचक निरीक्षकों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं ? यदि हां, तो इससे कितने लोग, प्रभावित होंगे और उनको स्वास्थ्य विभाग के परिवार नियोजन या किसी अन्य शाखा में सरकार पुनः नियुक्त करेगी और इस संबंध में सरकार की आगे क्या योजना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जो हां, इससे ३७४ चेचक निरीक्षकों पर प्रभाव पड़ा। ऐसे चेचक निरीक्षकों को स्वास्थय विभाग के अन्तर्गत परिवार नियोजन एवं मलेरिया साधारण योजना में उनकी शैक्षिक योग्यतानुसार पद दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

बस्ती जिले में मलेरिया व फाइलेरिया रोकने के काम

*१९—श्री जगदीश प्रसाद पान्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में अगस्त से दिसम्बर, १९६५ तक मलेरिया विभाग द्वारा कितने व्यक्तियों का किन-किन क्षेत्रों से मलेरिया के लिये खून की जांच की गयी और कितने केसों में खून में मलेरिया के कीटाणु पाये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला बस्ती में अगस्त से दिसम्बर, १९६५ तक मलेरिया विभाग द्वारा ६८,६४८ व्यक्तियों का खून खलीलाबाद, मेहदावल, बांसी डुमरियागंज, सदर, बहादुरपुर तथा हरैया क्षेत्रों से मलेरिया के लिये जांच किया गया और केवल ७ केसों में खून में मलेरिया के कीटाणु पाये गये ।

*२०—श्री जगदीशप्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त जिले में फाइलेरिया के रोकने के लिये इस वर्ष (१९६६-६७) क्या योजना है ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

बस्ती जिले में फाइलेरिया के रोकने के लिये इस समय एक राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण यूनिट कार्य कर रही है। वह यूनिट वर्ष १९६६-६७ में भी कार्य करती रहेगी।

चेचक-उन्मूलन योजनान्तर्गत कर्मचारियों में बेकारी

*२१—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि प्रदेश में चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कितने इन्स्पेक्टर तथा वैक्सीनेटर के पद २८ फरवरी, १९६६ के बाद समाप्त किये जायेंगे

तथा उन पदों पर काम करते आ रहे कर्मचारियों को काम दिलाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

२८ फरवरी, १९६६ के अपराह्न से ३९६ इन्सपेक्टरों तथा ३५१ वेक्सीनेटरों के पद समाप्त किये गये। छटनी किये गये इन्स्पेक्टरों को विभाग के अन्तर्गत अन्य शाखाओं में जैसे परिवार नियोजन अथवा मलेरिया सधारण योजना में उनकी शैक्षिक योग्यतानुसार स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। छटनी किये गये वैक्सीनेटरों को सम्भवतः इसी योजना के अन्तर्गत यदि कहीं ऐसे स्थान रिक्त होंगे तो उन स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

सहकारी बीज गोदाम, जौनपुर में गबन

*२२--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बीज गोदाम, जौनपुर के बड़े बाबू गबन के आरोप में फरार हो गये हैं ? वे कितने दिनों से इस पद पर काम कर रहे थे ?

श्री बनारसीदास--

जी हां। वह जौनपुर में इस पद पर दिनांक २४-७-५३ से कार्य कर रहे थे।

*२३--श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि उन पर चार लाख से ऊपर का गबन बताया गया है ? यदि हां, तो कितनी बार और कितनी-कितनी रकम कब-कब गबन की गयी है ?

श्री बनारसीदास--

विभागीय लेखा अधिकारियों की जांच के फलस्वरूप कुल रु० ४,१४,१३५.९७ का गोलमाल प्रकाश में आया है। उपरोक्त रकम में ज्येष्ठ लिपिक सीड, द्वारा रु० ३६,३,१३१.५८ और डयूज क्लर्क द्वारा रु० ५१,००४-३९ स्थानीय बैन्क, डी० सी० एफ० आदि में से प्राप्त किया गया है। पूर्ण विवरण† सदन की मेज पर रख दिया गया है।

*२४--श्री मंगलदेव--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ७,८ वर्षों में कौन-कौन रजिस्ट्रार रहे हैं और आडिट रिपोर्ट क्या रही है ?

श्री बनारसीदास--

यह सूचना निम्न लिखित है:

निबन्धक का नाम		समय
१--श्री एन० पी० चटर्जी	..	१२-६-५६ से १६-१-५९ तक।
२--श्री के० एन० खन्ना	..	१७-१-५९ से १९-२-५९ तक।
३--श्री एन० एस० माथुर	..	२०-२-५९ से २-३-५९ तक।
४--श्री एस० इफितखार हुसैन	..	३-३-५९ से २९-५-६५ तक।
५--श्री गंगा सिंह चूणामणि	..	३०-५-६५ से अब तक।

†छापा नहीं गया।

[श्री बनरसीदास]

आडिट रिपोर्ट के बारे में यह कहना है कि यह गोलमाल ३७ बीज भन्डारों के हिसाब से संबंधित है। प्रत्येक बीज भन्डार का हर वर्ष आडिट होता है। यह गोलमाल लगभग सन् १९५७ से शुरू हुआ। आडिट विभाग से गंभीर अनियमिताओं पर स्पेशल रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाती है और उनकी तामिला डिप्टी रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार द्वारा तुरन्त कराया जाता है। परन्तु उपरोक्त गोलमाल संबंधित एक भी स्पेशल रिपोर्ट गत ७–८ वर्षों में आडिट विभाग से नहीं प्राप्त हुई है। सामान्य आडिट रिपोर्ट गत ७–८ वर्षों की ३७ सीड स्टोरों की करीब २९६ हुई। सामान्य आडिट नोटों में आडिटरों ने संदिग्ध धनराशि के लिये बैन्क के पास बुक तथा अन्य प्रमाण पत्र न उपलब्ध होने पर आपत्ति की है।

*२५–२६––श्री रामसुन्दर शास्त्री––

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

भरथना ब्लाक में कूपों व नलकूपों के लिए प्रार्थनापत्र

*२७––श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)––

क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में विकास खन्ड कार्यालय, भरथना, जिला इटावा में कृषकों के कितने प्रार्थना-पत्र कुएं की तकाबी तथा ट्यूबवेल की तकाबी के हेतु प्राप्त हुए और कितनों पर तकाबी दी गयी और कितनों पर नहीं दी गई ?

श्री राममूर्ति––

विकास खण्ड, भरथना, जिला इटावा में आर्थिक वर्ष ६३–६४ तथा ६४–६५ में कुंए तथा नलकूप के जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा जिनपर तकावी दी गई और जिन पर तकावी नहीं दी गई उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७८५ पर)

चेचक निरीक्षकों की बेकारी

*२८––श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)––

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत निकाले गये चेचक निरीक्षक, जिनकी सेवा अवधि लगभग चार वर्ष तक हो गई है, अन्यत्र उन लोगों को ही स्थान दिया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

इस दिशा में आवश्यक प्रयत्न किया जा रहा है।

*२९––श्री उमाशंकर––

यदि हां, तो कब से और क्या उनकी सेवाओं को जारी रक्खा जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

निकाले गये चेचक निरीक्षकों में कुछ को १ मार्च, १९६६ से एवं कुछ को उसके बाद अन्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया है। निकाले गये निरीक्षकों की सेवाओं को जारी रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में दन्त विभाग बन्द होना

*३०—श्री सन्त सिंह युसूफ, श्री झारखन्डेराय, श्री ऊदल, श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ), श्री भीखालाल (जिला उन्नाव), तथा श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में दन्त विभाग गत ३ मास से बन्द पड़ा है और रोगियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में दन्त विभाग ३ माह से अधिक से वहां कोई दन्त चिकित्सक न होने के कारण बन्द है लेकिन मरीजों को असुविधा न हो इसलिए यह व्यवस्था की गयी है कि साधारण दांत को तकलीफ वाले रोगियों का उपचार इस अस्पताल के सर्जिकल ओ० पी० डी० में होता रहे और अगर कोई ज्यादा तकलीफ वाले मरीज यहां पहुंचे तो उनको या तो स्थानीय सिविल स्पताल या मेडिकल कालेज के दन्त चिकित्सक के पास औपचारिकरूप से भेज दिया जाय ।

*३१—श्री सन्तसिंह युसूफ, श्री झारखन्डे राय, श्री ऊदल, श्री सुरजनराम विशारद, श्री भीखालाल तथा श्री विजयपालसिंह—

यदि हां, तो सरकार इस विभाग को पुनः चालू करने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उक्त विभाग को पुनः चालू करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बदौसराय में अस्पताल न खुल सकना

*३२—श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के ग्राम बदौसराय में कब तक सरकारी अस्पताल खोला जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अभी इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता ।

विकास खण्ड अधिकारी, कोयलशा, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*३३—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व विकास खन्ड अधिकारी कोयलशा, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ में अनेकानेक भ्रष्टाचार की शिकायतें जिले के अधिकारियों को तथा प्रान्तीय सरकार को दी गई थीं ? यदि हां, तो उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उसका परिणाम क्या हुआ ?

*श्री राममूर्ति—

जी हां सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७८६ पर)

केराकत विकास खण्ड अधिकारयों के विरुद्ध जांच

*३४—श्री कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या माननीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के विकास खण्ड केराकत के ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी आदि के विरुद्ध सार्वजनिक धन एवं सम्पत्ति

[कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री जगन्नाथ राव]

के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जो श्री रुद्रदत्त गिरि, तत्कालीन अध्यक्ष, टाउन एरिया, केराकत की शिकायत पर १९६१ में एस० डी० एम०, केराकत द्वारा की गई जांच तथा उसकी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, जौनपुर के माध्यम से सरकार को मिली है? उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति—

जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७८७–७८८ पर)

जामों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित न हो सकना

*३५—श्री कुंवर रुद्रप्रताप सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार को विदित है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो के मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय को ग्राम हरदां में स्थानान्तरित करने के तथा जामों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का आदेश राजाज्ञा क्रमशः ३० मई, १९६४ तथा ६ जून, १९६४ को दिया जा चुका है परन्तु आज तक उपरोक्त राजाज्ञा का पालन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या कारण है कि दो वर्ष व्यतीत हो रहे हैं परन्तु कार्य नहीं हुआ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

हरदौ में उपर्युक्त भवन न मिल सकने के कारण जामो में स्थित चिकित्सालय को हरदौ न ले जाया जा सका और चूंकि जामो की डिस्पेन्सरी अभी जामो ही में है और उसका भवन खाली नहीं हो सका इस लिए जामो में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर भी न खोला जा सका।

प्रधान, गांव सभा, खजुरो के विरुद्ध कार्यवाही

*३६—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या विकास मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र १९६६ के पहले बुधवार के प्रश्न संख्या ५३–५४ के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेंगे कि प्रधान ने जो १,००० रुपया ९ अप्रैल, सन १९६४ को पंचायत कोष से निकाला वह किस लिए निकाला और उसे ३० जनवरी, १९६६ तक क्यों नहीं खर्च किया तथा वह पया इतने दिनों तक किस के पास और किस नियम के अन्तर्गत रहा?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा खजुरो के प्रधान ने निर्माण कार्यों के निमित्त पंचायत कोष से १,००० रुपया निकाला था और उसी उद्देश्य से इस धन को अपने पास रखे रहे। प्रधान का यह कार्य नियम विरुद्ध था, अतः उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कूपर ऐलन कोआपरेटिव सोसाइटी, कानपुर की लेखा स्थिति

*३७—श्री खेमचन्द तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कूपर ऐलन कं०, कानपुर को कूपर ऐलन कोआपरेटिव सोसाइटी को किन कारणों से टेक ओवर किया गया?

श्री बनारसीदास—

कूपर कम्पनी कानपुर, कूपर ऐलन कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि० को जिन जिन कारणों से टेक ओवर किया गया है वे संलग्नक "क" में दिए हुए हैं।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७८९ पर)

*३८—श्री खेमचन्द्र तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कूपर ऐलन कोआपरेटिव सोसाइटी ने हस्तगत होने के बाद क्या-क्या कार्य किए हैं, उसकी प्रगति क्या है और उसकी लेखा स्थिति क्या है ?

श्री बनारसीदास—

वांछित सूचना संलग्नक 'ख' में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७९० पर)

विकास खण्ड, जामो के विलयन की अनुशंसा

*३९—सर्व श्रीकुंवर रुद्रप्रताप सिंह, रामकिशोर त्रिपाठी, रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर) शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़), रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर), चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को विदित है कि विकास खण्डों के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में जो राजाज्ञा हुई है मण्डलाधीश, सुल्तानपुर ने उनके शत प्रतिशत विरुद्ध अनुशंसा दी है कि तहसील मुसाफिरखाना के विकास खण्ड जामों के विलयन किया जाय ? यदि हां, तो राजाज्ञा के पूर्णपया प्रतिकूल अनुशंसा प्रेषित किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

जिलाधीश, सुल्तानपुर ने राज्य आज्ञा के अनुसार ही अपनी अनुशंसा भेजी है उस पर बिचार हो रहा है।

मकनपुर मेले का आय-व्यय

*४०—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार बताएगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत लगने वाले मकनपुर के मेले में इस वर्ष जनवरी, १९६६ में सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो विभिन्न श्रोतों से कुल कितनी आदमनी हुई और कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रबन्ध किया गया था। मेले के विभिन्न श्रोतों से कुल आमदनी ८४,७०४ रु० ९५ पैसे हुई थी। अभी तक २६,२३६ रु० ७५ पैसे का व्यय हो चुका है। इसके अलावा ८,००० रु० अभी और व्यय होने का अनुमान है।

*४१—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार बताएगी कि उक्त मेले में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम मेला प्रबन्धकों की ओर से किया गया ? यदि हां, तो उसमें कितना लाभ हुआ ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। वह निःशुल्क था। अतः लाभ का प्रश्न नहीं उठता है।

विकास खण्ड निधौली के कर्मचारियों का वेतन

*४२—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले के विकास खण्ड निधौली कलां के किस-किस सरकारी कर्मचारी के वेतन निर्धारित किए जाने का मामला सरकार के

विचाराधीन है ? अब तक मामला तय न होने पाने का कारण क्या है तथा कब तय हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--

इस जिले के विकास खण्ड निधौली कलां के अन्तर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारण का मामला विचाराधीन नहीं है।

कानपुर जिले में पंचायत चुनाव में काम करने वाले शिक्षकों का भत्ता

*४३--श्री शिवनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतलाएगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत विगत पंचायत चुनाव सन् १९६१ व ग्राम चुनाव सन् १९६२ में कार्य करने वाले शिक्षकों को मार्ग-व्यय, दैनिक भत्ता अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

विगत पंचायत चुनाव से सम्बन्धित बिल कई बार त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुए। अन्तिम रूप से जब ये बिल शुद्ध रूप में प्राप्त हुए तब वे पूर्व-समीक्षा की अवधि में आ गए। महालेखा पाल उत्तर प्रदेश ने भी समीक्षा के समय इन पर आपत्तियां लगायीं जिनका निराकरण करके बिल पुनः उन्हें भेजे गए। अब ये बिल महालेखापाल, उत्तर प्रदेश द्वारा पास होकर प्राप्त हो चुके हैं और भुगतान की कार्यवाही हो रही है।

ग्राम चुनाव सम्बन्धी बिलों पर भी पूर्व समीक्षा के समय महालेखापाल द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का जिला परिषद् कानपुर द्वारा निराकरण किया गया है और बिल पुनः महालेखापाल को पास करने हेतु भेजे गए हैं।

हरहुआ विकास खण्ड में कुओं के लिए तकावी

*४४--श्री झिलिमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि वाराणसी जिले के हरहुआ विकास खण्ड में जनवरी, सन् १९६५ तक कुल कितने सिंचाई के कुओं के लिए तकावी देना स्वीकार किया गया था और उनमें से कितने कुओं के लिए पूरी तकावी का रुपया दिया जा चुका है ? बाकी कुओं को तकावी की पूरी रकम अब तक क्यों नहीं दी गयी ?

श्री राममूर्ति--

वाराणसी जिले के हरहुआ विकास खण्ड में जनवरी से जून, १९६५ तक कुल १२९ कुओं के लिए तकावी स्वीकृत की गई जिसमें से ११ कुओं के लिए पूरी तकावी का रुपया दिया जा चुका है। शेष कुओं को तकावी की पूरी रकम धनाभाव तथा कार्य प्रारम्भ न होने के कारण नहीं दी गयी।

गांव सभा, वरही नेवादा के बकाये की नोटिस

*४५--सर्व श्री चन्दनसिंह, विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा, वरही नेवादा, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी (सोसाइटी वरही नेवादा) के बकाया की नोटिस बरही कलां के लाले, राजबली, मु० सुवराजी, मुनेश्वर, शिवसरन अभिराज, रामनिरंजन, महदेई के ऊपर विकास सहायक अधिकारी, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी द्वारा दी गई है जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त लोगों ने जिलाधीश, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र हाल ही में दिया है कि हमारे नाम से फर्जी तरीके से किसी ने रुपया लिया है हम लोगों ने नहीं लिया है ?

श्री बनारसीदास--

जी हां।

*४६--सर्वश्री चन्दनसिंह, विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि काले राजबली, मु० सुवराजी, मुनेश्वर, शिवचरन उक्त सोसाइटी वरही नेवादा के सदस्य भी नहीं हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और क्या सरकार इस सोसाइटी के सारे कागजात-पत्र जब्त कर इसकी पूरी जांच तथा जिस हस्ताक्षर से रुपया लिया गया है उसे एक्सपर्ट के नहां भेजने की व्यवस्था करेगी?

श्री बनारसीदास--

समिति का संचालक मण्डल निलम्बित कर दिया गया है और समिति का प्रबन्ध एक सरकारी प्रबन्धक के हाथ में दे दिया गया है। उक्त शिकायत की जांच खण्ड विकास अधिकारी, बड़ागांव कर रहे हैं।

खण्ड विकास अधिकारी के पदों की समाप्ति

*४७--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या यह सत्य है कि विकास खण्ड अधिकारी के पदों को समाप्त करने का सरकार का विचार है? यद हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति--

खण्ड विकास अधिकारी पदों को समाप्त करने का कोई सामान्य (general) प्रश्न विचाराधीन नहीं है परन्तु विकास खण्डों की संख्या में कमी करने के सिलसिले में अवश्य ही कुछ पद कम किए जायेंगे।

अभी यह निश्चित नहीं है कि किस तिथि से विकास खण्ड कम किए जायेंगे, इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि उक्त पद कब से कम किए जायेंगे।

सहकारी समिति ग्राम भूड़ नगरिया का आडिट

*४८--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति, ग्राम भूड़ नगरिया, ब्लाक मुहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद के एकाउन्ट का आडिट कब से नहीं हुआ?

श्री बनारसीदास--

भूड़ नगरिया सधन सहकारी समिति ब्लाक मुहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद का वर्ष १९६३-६४ तक का (अर्थात ३०-६-६४ तक का) आडिट ५-६-१९६५ को हुआ था।

*४९--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि इस सोसाइटी में कई हजार रुपए का गबन है, क्या सरकार शीघ्र आडिट करा कर उचित तथा आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्री बनारसीदास--

उक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार समिति में कोई गबन नहीं है।

जिला ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक से अनुरोध किया गया है कि इस समिति का वर्ष १९६४-६५ का आडिट शीघ्र कराने की व्यवस्था करें। यदि आडिट होने पर कोई गबन मालूम होगा तो सम्बन्धित पदाधिकारियों अथवा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी के सम्बन्ध में शिकायतें

*५०—श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी, शिवप्रसाद गुप्त, जिला अस्पताल के सम्बन्ध में सन् १९६५ की जनवरी से दिसम्बर तक कितनी शिकायत की दरख्वास्त स्वास्थ्य मन्त्री, निदेशक स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई? उसमें सिविल सर्जन के अलावा किन-किन की शिकायत है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

विकास क्षेत्र, अजमतगढ़ में कुओं के लिए सहायता

*५१—सर्वश्री दौलतलाल तथा (जिला आजमगढ़), तथा रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम महावतगढ़, विकास क्षेत्र, अजमतगढ़, जिला आजमगढ़ में छोटी सिंचाई योजना सिंचाई हेतु सन् १९६३–६४ व १९६४–६५ में निम्नलिखित व्यक्तियों को श्री विजय बहादुर सिंह, छटटू हरिजन, गनेश प्रसाद यादव, दौलत हरिजन, बनवारी हरिजन, बनारसी हरिजन, हरिजन धोबी, भगतू हरिजन, इन आठ व्यक्तियों को कुआं बनवाने के लिए ढाई-ढाई सौ रुपए की तीन किस्तें सरकार द्वारा दी गयीं परन्तु चौथी किस्त न देने का क्या कारण है? यह चौथी किस्त कब तक दे दी जायगी?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास क्षेत्र, अजमतगढ़ में नाले पर पुलिया की आवश्यकता

*५२—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम महावतगढ़, विकास क्षेत्र अजमतगढ़, जिला आजमगढ़ से होकर एक बड़ा नाला अम्बुआरी क्षेत्र में गिरता है उस नाले पर एक पुलिया बनवाने के लिए लगभग १२ सौ रुपया सन १९६४–६५ में सरकार द्वारा श्री विजय बहादुर सिंह, ग्राम प्रधान ने प्राप्त कर लिया, परन्तु आज तक उक्त पुल पर पुलिया न बनवाने का क्या कारण है? क्या सरकार को रुपया वापस कर दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री राममूर्ति—

ऐसा कोई अनुदान सन् १९६४–६५ में नहीं दिया गया। अतः प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड, जखिनी में भग्गूराम को तकावी

*५३—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के अन्तर्गत विकास खण्ड जखिनी, ग्राम लच्छापुर के श्री भग्गूराम नामक व्यक्ति के नाम २०० ० की तकावी २७ मार्च, १९५७ को दर्ज है और उसकी वसूली की जा रही है?

श्री राममूर्ति—

श्री भग्गू राम, ग्राम लच्छापुर को एक तकावी २०० रु० मात्र की दुधारू पशुक्रय हेतु अराजी-लाइन्स विकास खण्ड के तत्सम्बन्धित रजिस्टर में दिनांक २०–३–६० को दर्ज है। अभी तक इस तकावी के विपरीत एक पैसे की भी वसूली नहीं हुई है।

*५४—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त व्यक्ति ने कोई तकावी नहीं ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त व्यक्ति से तकावी न वसूल करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

इस सम्बन्ध में अभी तक पूर्व जांच नहीं की जा सकी है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि २०० रु० की धनराशि की तकावी जिसने प्राप्त की है और उसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी के ऊपर है। जब तक कि जांच की अन्तिम कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है तब तक उक्त तकावी की वसूली स्थगित रखी जायगी।

शाहजहांपुर जिले में मुर्गी पालने तथा कुओं के लिए सहायता

*५५—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के तहसील तिलहर के तीनों ब्लाकों में सन १९६२ से ६५ तक कितने लोगों को मुर्गी पालने के लिये कर्ज तथा अनुदान दिया गया और इस समय कितने मुर्गी पालन केन्द्र हैं ?

श्री राममूर्ति—

शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील में तीन नहीं वरन् चार विकास खण्ड हैं जिनमें से १९६२ से १९६५ तक की अवधि में १८ व्यक्तियों को मुर्गी पालने के लिए कर्जा तथा अनुदान दिया गया है।

उक्त विकास खण्डों में मुर्गी पालन केन्द्रों की संख्या इस समय १५ है।

*५६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर, ब्लाक जैतीपुर तथा तिलहर और जलालाबाद ब्लाक में १५ फरवरी, १९६६ तक कितने कुएं आबपाशी के लिए लघु सिंचाई कार्यक्रम के अनुसार बन गए हैं और जिनसे आबपाशी हो रही है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

हरैया विकास क्षेत्र में लार्जसाइज सोसाइटियां,

*५७—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में हरैया विकास क्षेत्र के अन्दर कितनी लार्ज साइज सोसायटीज हैं और उनमें कितने सुपरवाइजर ऐसे हैं जो ३ साल से अधिक हैं ?

श्री बनारसीदास—

गोंडा जिले में हरैया विकास क्षेत्र के अन्दर गुगौली और मथुरा बाजार दो लार्ज साइज सोसाइटीज हैं, उनमें से एक सुपरवाइजर को मथुरा बाजार लार्ज साइज सोसाइटी में कार्य करते हुये तीन साल से अधिक हो गया है।

जौनपुर जिले के सहकारी बीज भण्डारों में गबन

*५८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे बुधवार, १६ फरवरी, १९६६ के श्री केशरी प्रसाद पांडेय के प्रश्न नं० ४५ के संदर्भ में जो जौनपुर, जिला में कोआपरेटिव सीड

स्टोर में ४,१४,१३५.९७ का गोलमाल बताया गया था, उसकी जिम्मेदारी वहां के सहायक निबन्धक सहकारिता पर, जो उस एकाउन्ट को परिचालित करते हैं, कहां तक है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास--

जौनपुर जिले के कोआपरेटिव सीड स्टोरों में गबन से सम्बन्धित सहायक निबन्धकों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अभी जांच पड़ताल हो रही है। अतः इस समय यह बताना कठिन है कि किस सहायक निबन्धक की जिम्मेदारी कहां तक है।

जौनपुर जिले के ४ सहायक निबन्धकों जिनके कार्यकाल में गोलमाल हुआ है मेंसे ३ को अप्रत्यावर्तित (रेवर्ट) कर दिया गया है और एक को निलम्बित कर दिया गया है।

अतर्रा अस्पताल में डाक्टर न होना

*५९--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के टाउन अतर्रा का अस्पताल राजकीय कब से हो जायगा और वहां डाक्टर कब से भेजा जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इस अस्पताल का प्रान्तीयकरण कब तक संभव हो सकेगा। डाक्टरों की कमी देखते हुये यह कह सकना भी कठिन है कि डाक्टर वहां कब तक भेजा जायगा।

सहकारी सुपरवाइजरों का वेतन

*६०--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक से सहकारी सुपरवाइजर का वेतन किस क्रम से प्रान्तीय सहकारी यूनियन को मिलता है और यूनियन क्या भुगतान करती है ?

श्री बनारसीदास--

रिजर्व बैंक से सुपरवाइजरों के लिये कोई वेतन या अनुदान प्राप्त नहीं होता है। यूनियन अपने सुपरवाइजरों को ४८-२-६०-४-८० के वेतन क्रम में ७५ रु० मासिक स्थायी वेतन तथा ३५ रु० मंहगाई भत्ता तथा १५ रु० टी०ए० कुल १२५ रु० प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करती है।

सेलेक्शन ग्रेड के सुपरवाइजरों को ७५-५-१२० के वेतन क्रम से वेतन देती है। प्रशिक्षित सुपरवाइजरों के न होने पर कहीं कहीं अप्रशिक्षित सुपरवाइजर रख लिये जाते हैं। इन सुपरवाइजरों को यूनियन कुल ९१ रु० प्रति माह के हिसाब से भुगतान करती है।

मथुरा जिले में सहकारी कर्मचारी

*६१--श्री कन्हैया लाल--(जिला मथुरा)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में सहकारिता विभाग में ऐसे कितने कौन कौन सहकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्हें अपने वर्तमान पदों पर अथवा विभिन्न पदों पर कार्य करते हुये दस वर्ष से अधिक समय हो गया है ?

श्री बनारसीदास--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ अस्पताल की इमारत

*६२—श्री इन्द्रासन सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में नये अस्पताल की इमारत सन् १९६४ से बन कर तैयार है, परन्तु अब तक पुराने अस्पताल में मरीजों तथा अन्य सामान को वहां किन कारणों से नहीं ले जाया गया और वह नई इमारत बेकार पड़ी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

संयुक्त जिला अस्पताल, आजमगढ़, की नई इमारत अभी हाल ही में बनकर तैयार हुई है और शीघ्र ही यह इमारत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित कर दी जायगी जिसके पश्चात् ही पुरानी इमारत से नई इमारत में मरीजों व सामान आदि को ले जाया जायगा ।

बिन्दकी में महिला चिकित्सालय

*६३—श्री रक्षपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री फतेहपुर जिले के बिन्दकी नामक नगर में जनाना अस्पताल कायम करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बिन्दकी में एक महिला चिकित्सालय की स्थापना के आदेश दिनांक १० दिसम्बर, १९६४, को दिये जा चुके हैं ।

खीरी जिले में विकास खण्डों का गठन

*६४—श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जिले में विकास खंडों का जो नया परिसीमन हो रहा है उसके अनुसार कौन-कौन विकास खंड समाप्त किये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

जिलाधीश तथा जिला परिषद् की कार्य समिति के प्रस्तावों पर अभी विचार हो रहा है ।

वाराणसी जिले में कुओं के लिए तकावी

*६५—श्री सुरजन राम तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में प्रत्येक ब्लाक में सन् १९६४ तथा १९६५ में कितने सिंचाई के कुयें तकावी से बनाये गये और क्या उन किसानों को पूरा रुपया दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

वाराणसी जिले में प्रत्येक ब्लाक में सन् ६४ तथा ६५ में बनाये गये सिंचाई कुओं का विवरण संलग्न है । हां, इन सभी किसानों को पूर्ण स्वीकृत तकावी की धनराशि दी जा चुकी है ।

(देखिये नत्था 'ड' आगे पृष्ठ ७९१ पर।)

ग्राम महावतगढ़ में प्राइमरी स्कूल की इमारत

*६६--श्री भीमा प्रसाद तथा श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम महावतगढ़, विकास क्षेत्र आजमगढ़, जिला आजमगढ़, में प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु २५ सौ रुपये ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह ने सरकार से १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में प्राप्त कर लिये, परन्तु आज तक प्राइमरी स्कूल का भवन निर्माण न करने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

ग्राम महावतगढ़, विकास क्षेत्र आजमगढ़, जिला आजमगढ़, के प्रधान श्री विजय बहादुरसिंह को वर्ष १९६१-६२ तथा ६२-६३ में प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु कोई धन नहीं दिया गया था।

*६७--श्री भीमा प्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार बतायेगी कि ऊपर कहे गये प्रश्न में उक्त रुपया सरकार को वापस कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

प्रश्न नहीं उठता।

*६८--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

(प्रश्नकर्ता के विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के कारण हटा दिया गया।)

मोहम्मदी में कोल्ड स्टोरेज

*६९--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिला लखीमपुर के नगर मोहम्मदी के आसपास के इलाके में आलू की पैदावार बहुत है, तो क्या सरकार सहकारिता विभाग द्वारा वहां कोई कोल्ड स्टोरेज बनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बनारसीदास--

जिला लखीमपुर में मोहम्मदी नगर के आस पास राष्ट्रीय प्रसार सेवा ब्लाक में आलू की पैदावार कुल ५०९ एकड़ में कूती गई है जिसकी पैदावार से कोई सहकरी शीतग्रह लाभ में नहीं चल सकता। अतः कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने का अभी कोई विचार नहीं है।

प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्टरेशन ऐक्ट के अन्तर्गत जुर्माना

*७०--श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रिवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमों में जो जुर्माना वसूल होता है उसका कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को दिया जाता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

प्रश्नगत जुर्माने की धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जा रही है।

*७१--श्री होरीलाल यादव--

(१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

पाण्डु नदी पर मवैया के निकट पुल की मरम्मत

*७२--श्रीमती वृजरानी (जिला कानपुर)--

कानपुर जिला परिषद् ने गत ३१ अक्तूबर, १९६४, की बैठक में पांडु नदी पर सकरवा मवैया के बीच बने पुल की मरम्मत के हेतु शासन से संस्तुति करने का प्रस्ताव किया था ? उस प्रस्ताव के अनुसार सरकार पुल की मरम्मत की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति--

जिला परिषद्, कानपुर, का ३१ अक्तूबर, १९६४, का पांडु नदी पर मवैया के निकट बने पुल की मरम्मत का प्रस्ताव सरकार को परिषद् से २४ फरवरी, १९६६ को प्राप्त हुआ था। यदि परिषद् इस पुल की मरम्मत का खर्चा देने को तैयार हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी मरम्मत करा सकता है।

*७३--डा० रघुनाथ सिंह--

[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मैटरनिटी लीव

*७४--श्री सन्तसिंह यूसुफ--

क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि स्टैंडिग लेबर कमेटी ने केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री जगजीवनराम की अध्यक्षता में दिनांक १३ और १४ फरवरी, १९६६, की अपनी बैठक में मैटरनिटी लीव केवल तीन तक सीमित करने का सुझाव को नामंजूर कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उस त्रिदलीय निर्णय का आदर करते हुये राज्य सरकार अपने उस निर्णय को रद्द करेगी जिसके अन्तर्गत मैटरनिटी लीव पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ? यदि नहीं, तो क्या मुख्य मंत्री स्टैंडिग लेबर कमेटी के निर्णय की जानकारी हासिल करके मैटरनिटी लीव सम्बन्धी निर्णय को रद्द करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

जी हां।

चूंकि निर्णय सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा की गई सिफारिश पर लिया गया है जिसे उसने समुचित विचार के पश्चात् किया था, अतः उस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

पशु सेवक

*७५-७६-श्री मंगलदेव--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में कितने पशु सेवकों का ट्रांसफर दिनांक ३१ मार्च, १९६४, में पशुपालन विभाग से नियोजन विभाग में हुआ है ? क्या उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

क्या यह सही है कि उक्त पशु सेवकों का ग्रेड पशुपालन विभाग में ७५-५-१२० था और नियोजन में ट्रांसफर हो जाने पर उन्हें ४५-२-६५-३-८० दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

अभी पुर्ण सूचना एकत्र की जा रही है तथा वेतन का प्रश्न विचाराधीन है।

सतवाही ग्राम की भूमि ऊंची करना

*७७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के ग्राम सतवाही (टप्पा कोड़री) के हरिजनों का कोई आवेदन पत्र जिलाधीश बस्ती के माध्यम से अक्तूबर अथवा नवम्बर, १९६५, में मिला जिसमें कि उन्होंने ग्राम के पश्चिम की ओर की भूमि अपने निवास के लिये ऊंची कराने की मांग की है, क्योंकि उनकी वर्तमान निवास की भूमि नीची है जो कि वर्षा में डूब जाती है ? यदि हां, तो उस मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

*७८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के तहसील नौगढ़ के ग्राम सतवाही (टप्पा कोड़री) में वर्षा से डूबने वाली भूमि को ऊंचा किया गया है परन्तु हरिजनों की भूमि को ऊंचा न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उस भूमि को तुरन्त ऊंची कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के ग्राम सतवाही (टप्पा कोड़री) में वर्षा से डूबने वाली भूमि को ऊंचा किया गया है ।

हरिजनों की भूमि को निम्नलिखित कारणों से ऊंचा नहीं किया जा सका ।

ग्राम सतवाही की पुरानी आबादी बड़ी राप्ती नदी ने काट दी है । केवल वह भूमि कटना शेष रह गई है जिस पर कि हरिजन बसे हुये थे । ये लोग अब भी पुरानी आबादी में ही बसे हुये हैं क्योंकि नदी से सटी है । उक्त नदी से इस पुरानी आबादी की भूमि के कट जाने का भय है अतः हरिजनों की भूमि को ऊंचा नहीं किया जा सका । आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर इनकी भूमि को ऊंचा किया जायगा ।

गेराई–दानपुर सड़क

*७९—श्री गया प्रसाद—

क्या यह सही है कि वाराणसी जिला अन्तर्गत गेराई से दानपुर तक की कच्ची सड़क बनाई जा रही है ? यदि हां, तो कब से काम शुरू हुआ और कब तक पूरा हो जायगा और यह सड़क कितनी लम्बी है और कितने फीट चौड़ी बनेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । जिला परिषद्, वाराणसी, द्वारा कार्य मार्च, १९६६, से आरम्भ हुआ है और सितम्बर, १९७० तक पूरा हो जाने की आशा है । वह सड़क ८ मील, ७ फर्लांग, ३३० फीट लम्बी है और ३२ फीट चौड़ी बनेगी ।

मड़ियाहू–मछलीशहर सड़क

*८०—श्री जगन्नाथ राव—

क्या विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिलाअन्तर्गत मड़ियाहू में मछली-शहर ब्लाक की सड़क को पक्का करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई कितनी धनराशि जिला परिषद् जौनपुर के पास कब से पड़ी है और इस सड़क को पक्की करने में कितना धन अभी तक सरकार की ओर से व्यय हो चुका है ?

श्री राममूर्ति--

इस निर्माण कार्य के लिये सरकार द्वारा दी गई ३,३५,२५० रु० की धनराशि में २,५८,६३९ रु० की धनराशि वर्ष १९६०-६१ से जिला परिषद् के पास पड़ी है।

अब तक कुल ७६,६११ रु० का व्यय हो चुका है।

*८१-८२--श्री लखपतराम शर्मा--

(१०वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १०६-१०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।)

चेचक विभाग में इंस्पेक्टरों की छटनी

*८३--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २० फरवरी, १९६६, को चेचक विभाग के इन्स्पेक्टरों को निकालने की नोटिस दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इन इन्स्पेक्टरों को अन्य नौकरी देने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां, किन्तु निकालने की नोटिस २८ फरवरी, १९६६, से दी गई। छटनी किये गये इन्स्पेक्टरों को विभाग के अन्तर्गत अन्य शाखाओं में जैसे परिवार नियोजन अथवा मलेरिया संधारण योजना में उनकी शैक्षिक योग्यतानुसार स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*८४--श्री सुखराम दास--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८५-८६--श्री सुखराम दास--

[९ वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*८७-८९--श्री गंगाप्रसाद--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९०-९१--श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) तथा श्री गंगा प्रसाद--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

नवीन चिकित्सालय

*९२--श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कुल कितने एलोपैथिक व आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल खोलने का लक्ष्य रखा था और उस निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत कुल कितने आज तक खुल चुके हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने राज्य के अन्तर्गत ४० एलोपैथिक, ४२ आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल खोलने का लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य के अन्तर्गत ४० ऐलोपैथिक तथा ४९ आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के आदेश योजना काल में दे दिये गये थे।

*९३--श्री चन्द्रबली सिंह--

[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९४—श्री चन्द्रबली सिंह—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*९५-९६—श्री जगन्नाथ चौधरी—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९७—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

वाराणसी के कारखानों में प्रावीडेंट फण्ड स्कीम

*९८—श्री ऊदल, श्री सुरजनराम तथा श्री रघुनाथ राम—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर में कितने मेटल इंजीनियरिंग उद्योगों में प्रावीडेंट फण्ड स्कीम लागू है, और दिसम्बर, १९६५, तक कितने कारखानों ने फण्ड की पूरी रकम सरकारी कोष में जमा किया है, और कितनों ने नहीं जमा किया ?

श्री बनारसी दास—

दिसम्बर, १९६५, तक मेटल तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में लगे वाराणसी के कुल २८ कारखानों में प्रावीडेंट फण्ड स्कीम लागू थी । इनमें से २१ कारखानों ने फन्ड की देय रकम पूरी पूरी दिसम्बर, १९६५, तक जमा कर दी थी तथा ७ कारखानों ने देय रकम पूर्णतया सरकारी कोष में जमा नहीं की थी ।

*९९-१००—श्री राजनाथसिंह—

[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०१—श्री राजनाथसिंह—

[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

पिपरा फार्म का रजिस्ट्रेशन

*१०२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि गन्ना फार्म मजदूर यूनियन, पिपरा फार्म, जिला खीरी लखीमपुर, के रजिस्ट्रेशन का आवेदनपत्र कब प्रस्तुत किया गया ? पिपरा फार्म का मालिक कौन है और रजिस्ट्रेशन में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

यूनियन का आवेदन पत्र क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ, के यहां १८ अगस्त, १९६४, को प्राप्त हुआ था ।

यह फार्म अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, हरगांव का है । यूनियन का रजिस्ट्रेशन ३०-३-६६ को किया जा चुका है । रजिस्ट्रेशन में विलम्ब का कारण यह है कि यूनियन के आवेदन पत्र में अत्यधिक त्रुटियां थीं, रजिस्ट्रेशन फीस लगभग ७ माह बाद यूनियन द्वारा भेजी गई। इसके अतिरिक्त यूनियन के सदस्य अन्य ११ फार्मों के भी कर्मचारी थे जिनके विषय में जांच आवश्यक थी ।

चौबेपुर जन-चिकित्सालय के कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्तरी

*१०३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कानपुर जिलान्तर्गत चौबेपुर जन-चिकित्सालय के अधिकांश कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्तरी (इन्क्रीमेंट) का धन

१ अप्रैल, १९६०, से ३१ मार्च, १९६२, तक का या इसकी मध्य अवधि का अब तक क्यों नहीं दिया जा सका, उनके पद सहित नाम क्या हैं, और कब से कब तक की अवधि का तथा प्रत्येक को कितनी धनराशि पाना अवशेष है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पहली अप्रैल, १९६०, से ३१ मार्च, १९६२, तक चौबेपुर जन-चिकित्सालय के अन्तर्गत कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों में से किसी का भी वेतन बढ़ोत्तरी (इन्क्रीमेंट) का धन देना अवशेष नहीं है ।

*१०४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मंत्री जी तुरन्त आदेश देंगे कि उन समस्त अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्हें वेतन बढ़ोत्तरी की धनराशि पानी शेष है, भीषण महंगाई और उनकी कठिनाई को देखते हुये यथाशीघ्र चुकता कर दी जायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

*१०५-१०६—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।)

फतेहपुर जिलें में विकास समितियों को अनुदान

*१०७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के क्रमशः अमोली तथा खजुहाविकास खंडों की समितियों द्वारा दिनांक २८ फरवरी, १९६६, तक किन-किन को (पते सहित) कब किस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि अनुदान के रूप में सहायतार्थ दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे, और यह बतायेंगे कि दी गयी धनराशि का नियमित उपयोग किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो उनके पते सहित नाम क्या हैं जिन्होंने प्राप्त धनराशि को प्रयोग नहीं किया और क्यों ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

गुंटूर मेडिकल कालेज में सुरक्षित सीट

१—श्री होरीलाल यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किन-किन प्रान्तों के किन किन मेडिकल कालेजों में उत्तर प्रदेश के छात्रों के दाखिले के लिये कितनी कितनी सीटें सुरक्षित हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

केवल आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर मेडिकल कालेज में उत्तर प्रदेश के छात्रों के प्रवेश के लिये केवल एक स्थान (सीट) सुरक्षित है ।

बांदा जिले में बोरिंग

२—श्री मतोला सिंह (जिला बांदा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में सन् १९६५-६६ में कितने कच्चे कुयें सिंचाई हेतु खोदे गये तथा उनमें कितनों में बोरिंग कराई गई ?

श्री राममूर्ति—

बांदा जिले में सन् १९६५-६६ में कोई भी कच्चे कुयें नहीं खोदे गये। अतएव बोरिंग करने का प्रश्न नहीं उठता है।

३—श्री मतोला सिंह—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में किस किस ब्लाक में बोरिंग कराके आबपाशी की गई ?

श्री राममूर्ति—

बांदा जिला के नरैनी (महुआ) बढ़ोखर, सिंडा तथा चित्रकूट विकास खण्डों में बोरिंग कराके आबपाशी की गई।

४—श्री मतोला सिंह—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के वास्ते सरकारी तौर पर बोरिंग मशीन है ? यदि हां, तो कितने कुओं में बोरिंग हुआ और औसत कितने में पानी निकला ?

श्री राममूर्ति—

बांदा जिले में सरकारी हैन्ड बोरिंग सैट (मशीन) है। इनसे अभी तक १२५० कुओं में बोरिंग की गई है जिनमें केवल १२२० कुओं में औसत पानी निकला।

फरेंदा तहसील में जनशक्ति योजनान्तर्गत कार्य

५—श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा तहसील के अन्तर्गत बृजमनगंज तथा धानी ब्लाकों में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत अभी तक क्या-क्या कार्य शुरू हुये हैं तथा उनकी प्रगति क्या है ? यदि नहीं शुरू हुये, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र धानी में ७ गांवों को ऊंचा करने का कार्यक्रम ८-१० लाख रु० की अनुमानित लागत पर स्वीकृत है, जिसमें से ३७ गांवों की पटाई का काम शुरू हो चुका है तथा फरवरी १९६६ तक इन गांवों की पटाई पर २,४०,५४९ रु० व्यय हो चुका है। इन गांवों के नाम तथा इन पर हुये व्यय का ब्योरा परिशिष्ट (क) में दिया गया है। शेष गांवों की पटाई का कार्य रोक दिया गया है।

बृजमनगंज ब्लाक अब इस योजना से निरस्त कर दिया गया है। इसलिये इस ब्लाक के कामों को करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७९२ पर।)

विधान सभा के सदस्यों को सदन में आने से रोकने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्नों का समय तो समाप्त हो चुका है। हम एक बड़ी विचित्र परिस्थिति में आज यहां एकत्रित हुये हैं। इसके पहले भी इस आदरणीय सदन के समक्ष मैंने अपने विचार रखे थे। कहां तक यह उपयुक्त है कि हमारे विधान सभा भवन के सामने प्रदर्शन हो और उस प्रदर्शन के परिणामस्वरूप इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों को अन्दर आने में कठिनाई ही नहीं, अपितु कुछ ऐसे माननीय सदस्यों के साथ जो अन्दर आ रहे हैं, उनके साथ हाथा पाई भी हो ? इस सम्बन्ध में मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान ब्रिटिश पार्लियामेंट की पद्धति की ओर आकर्षित करता हूं जहां प्रत्येक सत्र के अरम्भ में सदन द्वारा आदेश जारी होते हैं, जिसके द्वारा अध्यक्ष को अधिकार दिया जाता है कि वह पुलिस अधिकारी और जिला अधिकारियों को सूचित करें कि किस प्रकार का प्रबन्ध बाह्य परिसरों में होना चाहिये जिसमें से सदन के सम्मानित सदस्यों को आने जाने में कठिनाई न हो। इतना तो मैं प्रक्रिया सम्बन्धी इस आदरणीय सदन के सामने पहले कह चुका हूं और कहना चाहता हूं।

दूसरी बात और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। कदाचित यह बात तो माननीय मुख्य मंत्री द्वारा या और किसी इस आदरणीय सदन के सदस्यों द्वारा आनी चाहिये, लेकिन शायद संकेत करना मेरे लिये अनुचित न होगा कि विधान सभा वह उपकरण है, वह साधन है कि जिसके द्वारा, जो कुछ शासन द्वारा अनुचित बात होती है, उसका निराकरण हो सके साधारण जनता की जो कुछ शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निवारण सम्मानित सदस्यों के विचार विनिमय से साधारणतया प्रजातांत्रिक पद्धतियां में सदन द्वारा हुआ करता है। पार्लियामेन्टरी इन्सटीट्यूशन, प्रजातांत्रिक संस्थाओं द्वारा हुआ करता है। अगर कोई दल विशेष या कोई व्यक्ति इस आदरणीय सदन के सम्मानिन सदस्यों को नहीं आने देता और साधारण जनता की शिकायत को प्रस्तुत करने में बाधा डालता है, उसका मतलब यह होता है कि वह प्रजातंत्र की जड़ उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट हो या विधान सभाएं हों, उनके सदस्यों को प्रवेश करने के लिये सुविधा केवल सरकार को नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रजातांत्रिय पद्धतियों में विश्वास रखता है, उसको प्रवेश सुविधा में सहयोग देना चाहिये। अगर बाधक होता है बल द्वारा, कोआप्शन या जबरदस्ती करके तो मैं समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति उन प्रजातंत्रीय पद्धतियों में विश्वास नहीं करता जिन पद्धतियों को स्थापित करने के लिये हमारे संविधान में रचना की गई है। मैं इस आदरणीय सदन द्वारा निवेदन करना चाहता हूं उन महानुभावों से जो सदन में आने से इस सदन के सम्मानित सदस्यों को रोक रहे हैं कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह हमारी प्रजातंत्र पद्धतियों पर आघात कर रहे हैं, एक घोर आघात है जिसके परिणामस्वरूप हमारी प्रजातंत्र पद्धति जो एशिया में एक है उस पर आंच आ सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट या हाउस आफ कामन्स के जो तरीके हैं उनके प्रति इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। यह मे के पृष्ठ २३७ पर, १७ वें संस्करण में, इस प्रकार से है :--

"To facilitate the attendance of Members without interruption, both Houses, at the commencement of each session, by order, give directions that the commissioner of police of the metropolis shall keep, during the session of Parliament, the streets leading to the Houses of Parliament, free and open, and that no obstruction shall be permitted to hinder the passage thereto of the Lords or Members (i). The police accordingly give every facility to Members and officers of the two Houses to cross the streets and approach the Houses of Parliament without interruption and, where necessary, hold up the traffic for this purpose (k).

[श्री अध्यक्ष]

Tumul tuous assemblages—When tumultuous assemblages of people have obstructed the thoroughfares, lobby or passages, orders have been given to the local authorities to disperse them."

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जो प्रजातंत्र को चलाने वाले कर्मचारी हैं और हम विधायक, इस सत्याग्रह के कारण अन्दर नहीं आ सके। मैं ७वें गेट पर था। तीन, चार बार सोचा कि इधर झगड़ा हो जायगा, लिहाजा दूसरे गेट से निकलें। फिर पीछे से आये। कुछ साथी सोशलिस्ट पार्टी के एक नंगा नाच कर रहे थे जो कि असभ्यता की चरम सीमा पार कर रहा था....

श्री अध्यक्ष—

अगर किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना है तो लिखित रूप से दें तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक नम्र निवेदन करना है। हम सभी माननीय सदस्य यहां आपके जूरिडिस्क्शन में हैं और असेम्बली आपके जूरिस्डिक्शन में चलती है। आज जब हम असेम्बली अटेंड करने के लिये अन्दर आना चाहते थे तो गेट पर हमको पकड़ा जाता था', मारा जाता था .....

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ आपको कहना है लिख कर दें।

श्री सईद अहमद—

गेट पर जो एस० ओ० थे उनसे मैंने कहा कि तुम किस परपज के लिये यहां हो, तो उन्होंने मुझे घेरे में कर लिया और उसके बाद एजीटेशन करने वालों ने मुझे गर्दन से पकड़ कर नीचे डाल दिया और दो चार लोगों ने मुझे मारा भी....

श्री अध्यक्ष—

आप जो कुछ कह रहे हैं उसके लिये मैं जो कुछ कर सकता हूं करने के लिये तैयार हूं लेकिन बाकायदा लिखित आ जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

अभी आप तथा आपके साथी बहुत बात कर चुके। मेरा एक नम्र निवेदन आपसे और इस सरकार से है कि आज आपने एक विशिष्ट प्रकार के प्रदर्शन पर अपनी व्याख्या दे दी। आपने और आपकी सरकार ने ...

श्री अध्यक्ष—

आपकी सरकार से क्या मतलब ? "सरकार कहिये"।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

आप भी तो कांग्रेस दल के हैं।

श्री अध्यक्ष—

हुआ करें। लेकिन अध्यक्ष की हैसियत से "आपकी सरकार" कहना उचित नहीं है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मैं मानता हूं कि अध्यक्ष के नाते से उनका सरकार से कोई मतलब नहीं होना चाहिये, लेकिन जब तक आप कांग्रेसदल के सदस्य हैं आप इस सरकार को बनाने में उसी प्रकार जिम्मेदार हैं जैसे कि कांग्रेस का एक सदस्य।

मेरा निवेदन केवल इतना है कि इधर जो जन भावनायें सरकार के वायदों के खिलाफ रोष दिखाती हैं और उनको प्रकट करने के लिये प्रदर्शन करती हैं शान्तिपूर्ण ढंग से (व्यवधान) जनसंघ का प्रदेशभर में आन्दोलन हुआ। कोई दफा १४४ नहीं थी। जिस दिन प्रदर्शन हुआ, सवेरे दफा १४४ लगा कर गिरफ्तार कर लिया गया। कर्मचारियों का प्रदर्शन शान्ति ढंग से लोगों ने किया, मगर १४४ लगा कर गिरफ्तारियां कीं। आज तीन रोज हो गये, रोज पुलिस भूखहड़तालियों के तम्बू को उठा कर ले जाती है। आपने किसी घटना का जिक्र न करते हुये एक व्याख्या दे डाली।

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, आप बैठें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मेरा निवेदन आप सुन लें।

अध्यक्ष--

निवेदन का मतलब यह नहीं है कि चारों तरफ से आप किसी पर आक्षेप करें। अगर व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो नियम के अन्तर्गत कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

आपने एक विषम परिस्थिति पर अपना भाषण दिया। मैं उसको रख सकता हूं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

क्यों नहीं रख सकते ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

आपने विरोधी दलों को बिना सुने एक राय कायम कर ली। अगर एक प्रजातंत्र का वह गला घोट रहे हैं तो दूसरे का घोटने के लिये आप माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। आप अव्यवस्थित बात कर रहे हैं। भीषण परिस्थिति है, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है ? यहां केवल एक प्रश्न है और वह है इस आदरणीय सदन के सदस्यों को अन्दर आने में कठिनाई का। अब रहा यह कि इस सरकार ने दफा १४४ लगाई या क्या किया, उससे मुझसे कोई मतलब नहीं। जो बात आप कहना चाहते हैं उसे व्यक्त करने के लिये इस आदरणीय सदन के दरवाजे खुले रहने चाहिये।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

वह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, आप इसे सुनना नहीं चाहते ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

आप मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

अब सभापति, लोक लेखा समिति, हैं? (कोई उत्तर न मिलने पर) सभापति, प्राक्कलन समिति, हैं? (कोई उत्तर न मिलने पर) तो ये दोनों विषय कल तक के लिये स्थगित किये जाते हैं।

भूख हड़ताल करने वाले गन्ना कामदारों तथा सूती मिल उझानी, जिला बदायूं, के मजदूरों के साथ पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो आये हैं....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर तो कुछ निवेदन कर सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—

जरूर। मैं उसे पहले पढ़ लूं। एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वर प्रसाद का है और नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय उग्रसेन जी, गिरजा प्रसाद जी, भगवानदीन जी, पितई राम जी तथा रतीपाल, ये लोग मौजूद हैं वह इस प्रकार से है कि "विधान भवन के सामने भूख हड़ताल कर रहे गन्ना कामदारों तथा सूती मिल उझानी, जिला बादायूं, के मजदूरों ने धूप से रक्षा हेतु छोलदारियां लगाई थीं, उन्हें पुलिस ६ या ७ मई, ६६, की रात्रि को जबदस्ती उठा ले गयी। जिन भूख हड़तालियों ने पुलिस को यह अभद्र व्यवहार करने से रोका उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया है। १० तथा ११ को रात्रि में पुनः सब सामान उठा ले गये, परिणाम-स्वरूप इस तपती हुई धूप तथा जलजालाती हुई भूमि पर भूख हड़ताली दिन काट रहे हैं। नगर के सभी छोलदारी ठेकेदारों को आदेश दे दिया गया है कि वह किसी प्रदर्शनकारी को कोई सामान न दें। उनकी स्थिति चिन्ताजनक है। उन निरीह मजदूरों की फरियाद सुनना तो दूर रहा दूसरी ओर सरकार द्वारा तपती हुई धूप में तड़पने के लिये मजबूर किये जाने से पूरे प्रदेश की जनता में सरकार की दमन नीति के विरुद्ध उत्तेजना तथा रोष का वातावरण व्याप्त हो गया है।

नियम ५२ भी इसी संबंध में है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं सदन में आया था उस समय घेरा आन्दोलन प्रारम्भ नहीं हुआ था इसलिये सम्भवतः उस पुलिस जुल्म का जो प्रारम्भ हुआ है उसका इसमें समावेश नहीं हुआ है। आपने इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। मेरा कहना यह है कि जो शान्तिप्रिय आन्दोलन हो रहे हैं उन पर पुलिस का जुल्म बढ़ा चला जा रहा है। जिनका संबंध बढ़े हुये टैक्सों से है उसके प्रति सरकार ने जो रूख अपनाया है वह घृणित है। इसी प्रदेश में २५ तारीख को सरकार के विरुद्ध लगान की वापसी के संबंध में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। उसके बाद से ही सरकार का दमन चक्र चल रहा है। कल ही नहीं, पहले से भी विरोधी दलों के अनेक नेताओं ने माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी की अध्यक्षता में मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप इसको तत्काल वापस ले लें। माननीय मुख्य मंत्री वायदा

कर चुकी हैं, लेकिन वह नकार रही हैं। ऐसी दशा में आज प्रदेश का वातावरण क्षब्ध है और इसके साथ ही साथ आप देखें कि आज जनता की हर आवाज को दबाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष--

वह तो ठीक है, लेकिन जहां तक सूती मिल के कर्मचारी हैं.....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मैंने निवेदन कर दिया कि जिस समय मैं आया था उस समय दमन चक्र नहीं चल रहा था। सरकार इंतजार कर रही थी कि ११ बजे के बाद कोई प्रस्ताव नहीं आयेगा, अगर लाठी चार्ज होगा। एक बात आपने कह दी कि सदन के सदस्यों के आने में कुछ बाधा उपस्थित की, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से सदन के सदस्य कुचलकर लोगों को आते हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप कामरोको प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मैं कांग्रेसी सरकार से कहता हूं कि इस बढ़े लगान के प्रश्न कर वोट हो जाने दे।

श्री अध्यक्ष--

यह इससे संबंधित नहीं है, आप लगान की बात कर रहे हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

यह इससे संबंधित है। लगभग समस्त विरोधी दल यहां उपस्थित हो। एक ओर तो प्रजातंत्र की बात कहते हैं और दूसरी तरफ यह बात है। मेरा कहना यह है कि सदन का कोई कार्य नहीं चलना चाहिये। ऐसी दशा में विरोधी दल अन्दर नहीं आ सकते हैं तो आपको सदन का कार्य नहीं चलाना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सदन के माननीय सदस्य आसानी से यहां प्रवेश नहीं पा सकते हैं, तो उस समय इस सदन की कार्यवाही चलना कहां तक उचित है और इसके निर्णय कहां तक ठीक माने जायंगे? मैं समझता हूं कि आपको यहां की कार्यवाही बन्द करनी चाहिये या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे किसी के अन्दर आने में कठिनाई न हो ऐसी स्थिति सुधरे या आज आप सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

आज जब मैं यहां आया हूं, पहली बार मुझे नहीं घुसने दिया गया। इस पर मैंने उन सदन के सदस्यों से यही कहा कि देखो वोटिंग हो रही है, यदि मैं अन्दर नहीं जा सका और इसके कारण वोटिंग के स्थगन के आदेश नहीं दे सका तो आपका ही नुकसान होगा। लेकिन वे नहीं माने। अब जब मैं दुबारा आया तो मैंने आदेश दे दिया है। वोटिंग कल तक होगी। तो अब इस तरह से किसी भी व्यक्ति या पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। आज जो वोटिंग होगी वह कल तक चलेगी।

श्री भानुप्रताप सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इतना ही काफी नहीं है। हमारे जो माननीय सदस्य अन्दर नहीं आ सके हैं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सब लोग शान्त हो जाइये ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

यदि सरकार की यही नीति रही, उसका यही हठवादिता का तरीका रहा, तो मैं इस सदन का केवल आज के लिये ही नहीं, जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक के लिये इस सदन का परित्याग करता हूं । कारण मैं समझता हूं इस देश से इस प्रदेश से प्रजातन्त्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी धुन में मेरी तो कोई बात सुन नहीं रहे हैं, मेरी भी तो कुछ सुन लीजिये ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

अच्छा, अच्छा, कहिये ।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न जो उठ रहा है, वह उस समय उठ सकता है जब सदन की कार्यवाही शुरू हो । इस वक्त तो मैं कामरोको प्रस्ताव ले रहा हूं; आपने व्यवस्था का प्रश्न ले लिया ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि एक तरफ तो विरोधी दल के सदस्यों की तरफ से इस प्रकार के वक्तव्य दिये जाते हैं जनतन्त्र की दुहाई दी जाती है और यह कहा जाता है कि यहां पर बल प्रयोग किया जा रहा है । लेकिन विरोधी दल के उन्हीं सदस्यों की तरफ से इस सदन की एक आदरणीय महिला सदस्या के साथ जो व्यवहार किया गया है . . .

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

जो नियम ५२ के अन्तर्गत एक दूसरा मैंने स्वीकार किया है, वह भी माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी का ही है—प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की वेतन एवं मंहगाई भत्ता वृद्धि सम्बन्धी न्यायोचित मांगों को सरकार द्वारा अभी तक स्वीकार न किये जाने से समस्त कर्मचारियों एवं जनता में घोर असन्तोष तथा उत्तेजना व्याप्त है । इस सम्बन्ध में मैंने इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण वक्तव्य की नौबत नहीं आई । अब मैं चाहूंगा यह वक्तव्य कल दे दिया जाय । आप कल वक्तव्य दे दीजियेगा ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

कल दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

दोनों ही कल दे दीजियेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अच्छा ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

अब मैं आपकी आज्ञा से यह चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर एक विशेष स्थिति विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अब आप नियम ११३ के अन्तर्गत सदन के प्रस्तुत कार्यक्रम को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, इसे आप ला सकते हैं, इस पर विचार होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

सदन में इस समय कोरम पूरा है और जो परिस्थितियां पैदा की गयी हैं, उसकी जिम्मेदारी विरोधीदल के सदस्यों की है। शिकायत का मौका तो मुझे होना चाहिये किन्तु आप लोग ही उल्टे शिकायत कर रहे हैं। जो लोग आना चाहते थे वह आये हैं। सामने का गेट इस वक्त भी खुला है। यदि उसकी तरफ से अन्दर आने में कोई बाधा पड़ रही है तो यह विरोधी दल के सदस्यों की तरफ से पड़ती है। यदि इसके अन्दर बाधा पड़ रही है तो विरोधी दल के सदस्यों की वजह से। कोई कारण नहीं है कि प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

यह सारी बाधा सरकार के अत्याचारों के कारण है। विरोधी दल के सदस्यों के कारण नहीं है।

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)---

अभी माननीय मंत्री ने कहा कि जो माननीय सदस्य आना चाहते हैं आ सकते हैं। आप स्वयं हर दरवाजे पर गये और आप अपनी खुशी से नहीं आ सके। पुलिस का इतना बड़ा प्रतिबन्ध है और प्रदर्शनकारी ऐसा घेरा डाले हुये हैं कि कोई अन्दर क[illegible] नहीं रख सकता है सरकार ने लाठी चार्ज कराया, पानी डलवाया, जबकि वह शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह से इन्होंने जुल्म और ज्यादती की है, जानवरों की तरह, लाठी चार्ज किया और पानी डलवाया।

श्री अध्यक्ष---

आप बोलते ही रहेंगे या सुनेंगे भी ?

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

जो परिस्थिति है, चाहे जिस कारण से हुई हो, वह परिस्थिति है। मुझको सदन में प्रवेश करने के लिये डेढ़ घंटा तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्या माननीय सदस्य उस धूप में खड़े रहेंगे ? बहुत से लौट गये होंगे। तो परिस्थिति को बदलिये। जब तक सदस्य आसानी से नहीं आ सकते हैं उनको उनके प्रिविलेज से वंचित किया जा रहा है। इस तरह से जो कार्यवाही होगी वह असंवैधानिक होगी। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इसका निश्चय जनता करेगी। लेकिन सदन असंवैधानिक ढंग से चलता है, इस पर आप अपना निर्णय दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

पौने ग्यारह बजे से मैं घूमता रहा। सरकार हम लोगों के अन्दर आने की व्यवस्था करने में बिलकुल असमर्थ रही है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा हो गया । बैठिये ।

मद ८। चूंकि माननीय ब्रह्मदत्त मायर, माननीय चन्दनसिंह और माननीय बालोजी अग्रवाल नहीं आ सके हैं, इस लिये कल के लिये इसे स्थगित करता हूं ।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--

एक वक्तव्य के लिये हमारे पास आया है । कल के लिये रखा गया है । कल हमारे पुलिस अफसरान....

श्री अध्यक्ष--

परसों सही ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी ने कहा कि कल उनके अफसर नहीं हैं इसलिये नहीं वक्तव्य देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

कारण कुछ भी हो । छोटी-छोटी बातों पर इस तरह से एतराज नहीं करना चाहिये । तो एक कल रहेगा । आपका परसों । एक राज कर्मचारियों का है । यह तो कल आ सकता है और जो दूसरे हैं वह दोनों माननीय गृह मंत्री के हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह कल के लिये रखिये । सरकार की नीयत परसों के बारे में साफ नहीं है । सामने आपके कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मेरी नीयत तो बुरी नहीं है । और उनकी नीयत अब तक खराब नहीं मालूम हुई है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

शाम को रख लीजिये अगर मंत्री जी को असुविधा है ।

श्री अध्यक्ष--

तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

अब लोक लेखा समिति के सभापति नहीं हैं । यह भी कल के लिये स्थगित होता है ।

बाजार में बनस्पति घी के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब बाजार में बनस्पति उपलब्ध होने के लिये कल वक्तव्य होगा । यह केवल वक्तव्य के लिये है । इसमें कोई सवाल नहीं होगा ।

खाद्य मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)--

मार्च १, १९६३ को केन्द्रीय सरकार ने भारत सुरक्षा नियम १९६२ के अन्तर्गत इसेंशियल आर्टिकिल्स (प्राइस कन्ट्रोल) आर्डर, १९६३ लागू किया जिसके अन्तर्गत वनस्पति का मूल्य निर्धारित करने का फार्मूला निर्धारित किया गया । व्यापारी इस प्रकार से निर्धारित मूल्य से

अधिक दर पर वनस्पति नहीं बेच सकते थे। २१ मई, १९६३ को केन्द्रीय सरकार ने वनस्पति को उक्त आदेश से निकाल दिया और यह निर्णय किया कि वनस्पति पर कानूनी मूल्य (स्टेट्यूटरी प्राइस) नियंत्रण न रह कर गैरकानूनी (नान स्टेट्टयूरी) मूल्य रहेगा। इसके अनुसार मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन तथा वनस्पति नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार, वनस्पति का प्रत्येक स्तर पर (मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रिब्यूटर तथा फुटकर) मूल्य क्षेत्रवार (जोनवाइज) निश्चित कर दिया करते थे। परन्तु जून, १९६४ में केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्रवार मूल्य निर्धारित करने की पद्धति को समाप्त कर दिया तथा यह वनस्पति उद्योग पर छोड़ दिया कि वे अपने मूल्य का ठीक प्रकार से निर्धारण करें। इस प्रकार से राज्य सरकार को कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के अधिकार नहीं दिये गये। केन्द्रीय सरकार से वनस्पति की बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में बातचीत की गई और इस स्थिति से अवगत कराया गया। उनके अनुसार इस वर्ष मूंगफली की पैदावर पूरे भारतवर्ष में खराब हुई है, इसलिये मूंगफली के तेल के दाम काफी ऊंचे हैं और वनस्पति का उत्पादन भी सीमित मात्रा में होने की सम्भावना है। केन्द्रीय सरकार विदेशों से भी मूंगफली का तेल मंगाने का प्रयत्न कर रही है ताकि वनस्पति का उद्योग ठीक प्रकार से चलता रहे।

२—जुलाई, १९६४ से गुजरात सरकार ने मूंगफली तथा मूंगफली के तेल पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया और तब से लगा हुआ है। इसके फलस्वरूप मूंगफली के तेल की कमी इस प्रदेश में महसूस हुई थी। अपनी सरकार ने भी इस कमी को दूर करने के लिये मूंगफली के निर्यात पर अगस्त, १९६४ में प्रतिबन्ध लगा दिया था लेकिन केन्द्रीय सरकार के कहने पर नवम्बर, १९६४ में यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया था तब से इस प्रदेश में मूंगफली के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया। केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वह गुजरात में भी मूंगफली के निर्यात पर प्रतिबन्ध हटा दे लेकिन केन्द्रीय सरकार ने यह सूचित किया कि विशेष परिस्थिति में उनको यह प्रतिबन्ध लगाने की आज्ञा अक्तूबर, १९६६ तक के लिये दी गई है। फलस्वरूप इस प्रदेश में वनस्पति के जो कारखाने चल रहे हैं उनको अपने उत्पादन में मूंगफली की कमी महसूस हो रही है। केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है कि वह जिस प्रकार से चीनी आदि वस्तुओं के वितरण पर प्रतिबन्ध रखती है उसी प्रकार यदि सम्भव हो सके तो वनस्पति पर भी प्रतिबन्ध रखे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को यह आज्ञा प्रदान करे कि वह एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत वनस्पति के वितरण तथा मूल्य पर नियन्त्रण लगा सकती है। इसके अतिरिक्त वनस्पति उत्पादकों से भी बातचीत कर के समस्या का समाधान ढूंढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विधान सभा की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब औपचारिक कार्य समाप्त हुआ। अब हम आइटम नं० १२ पर आते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—

आप इतना क्यों घबड़ाते हैं?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

घबड़ाने का सवाल नहीं है, लेकिन बात टालना चाहती है गवर्नमेन्ट।

श्री अध्यक्ष—

जो नियम में होगा वह जरूर होगा। अब माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे सामने नियम ११३ के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आया है वह यह है कि इस सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय। यह प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत होगा। अब यह इस सदन के अधिकार में है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, इस सदन में विधेयक पर संशोधन के प्रस्तावक महोदय उपस्थित नहीं हैं और आगे जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें भी विवाद को प्रस्तुत करने वाले सदस्य इस सदन में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं आप से आग्रह करता हूं कि नियम ११३ के अन्तर्गत आज सदन की समस्त कार्यवाही मुल्तवी रखी जाय और उस को कल लिया जाय जब कि विरोधी दल के सब सदस्य यहां पर उपस्थित होंगे। मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस समय सदन में कोरम से भी ज्यादा लोग हाजिर हैं। इसके अलावा सामने वाला फाटक बिलकुल खोल दिया गया है। उधर से दारुलशफा से माननीय सदस्य लोग आ सकते हैं। इसलिये मुझे कोई खास कारण नहीं दिखाई देता जिससे आज सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय टम्बेश्वरप्रसाद और माननीय भानुप्रतापसिंह के प्रस्ताव के अनुसार आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं समझता हूं कि हमारे इतने छोटे से निवेदन को भी यह सरकार मानने में अपना अप्रजातान्त्रिक ढंग अख्तियार कर रही है और ऐसी भीषण स्थिति में भी सदन को स्थगित करने के लिये यह सरकार तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं इस अप्रजातान्त्रिक कार्यक्रम में भाग लेने में असमर्थ हूं और अपने दल के साथ इस सदन का त्याग करता हूं।

(माननीय सदस्य अपने दल के साथ सदन का त्याग कर के चले गये।)

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, वर्तमान परिस्थिति में मैं इस सदन को संविधान के अन्तर्गत गठित नहीं मानता हूं इसलिये कि इसके बहुत से विधायक इस सदन के अन्दर आने से मजबूर रहे हैं। अतः मैं आज सदन की कार्यवाही में भाग लेना नहीं चाहता हूं और उस समय तक भाग नहीं लूंगा कि कि यह सरकार अपनी अविवेक पूर्ण नीति का परित्याग नहीं करती है जिसके कारण आज यह भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है कि हमारे बहुत से विधायकों को सदन के अन्दर आने के लिये सरकार की ओर से, कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई? इन शब्दों के साथ में भी इस सदन का त्याग करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, पौने ग्यारह बजे से मैं इस विधान भवन के चारों ओर घूमता रहा कि अन्दर आने के लिये पुलिस वाले मुझे कोई रास्ता दें लेकिन सरकार इसमें बिलकुल असफल रही है कि ११ बजे हम लोगों के आने के लिये कोई समुचित व्यवस्था करे। इसके साथ-साथ जो यह सदन चल रहा है वह बिलकुल प्रजातन्त्र के विरुद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि इस सदन के अन्दर कोई भी कार्यवाही करना अनुचित है। इसलिये मैं भी इस सदन का परित्याग करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होना चाहते हैं लेकिन वे सदन में उपस्थित होने में लाचार हैं और सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि इस सदन का चलना जनतन्त्र के विपरीत है क्योंकि विरोधी दल के माननीय सदस्य इसमें आज भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसी हालत में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन को त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत मासूम सा संशोधन विधेयक है जिस पर मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह इसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई। यह विधेयक किस लिये यहां पर लाया गया है यह माननीय सदस्यों को विदित है। अपने मुल्क के सारे सूबों में इस बात का प्रयत्न किया गया कि सब जगह एक ही प्रकार के नाप और बांट हों। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन चूंकि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, इसलिये केन्द्रीय सरकार ने उनको यह अधिकार दिया कि वह इसके मुताबिक अपने यहां भी कानून बना लें। तदनुसार १९५९ में कानून बना और उसके बाद १९५२ में एक संशोधन हुआ। उसमें कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो उसी के अनुसार यह संशोधन उपस्थित किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

किसी को इस प्रस्ताव पर बोलना है ?

(कुछ देर रुक कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे मूल नियम कहा गया है) की धारा २ में—

(क) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५९ की धारा २ का संशोधन।

"(ङ) 'मापक यंत्र का तात्पर्य तोलन यंत्र से भिन्न किसी भी मापक यंत्र से है, और जिसके अन्तर्गत किसी वस्तु की लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन, धारणशक्ति, प्रकार, तापमान या घनत्व का अवधारण करने में प्रयुक्त कोई यंत्र भी है;

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(च) 'टकसाल' का वही अर्थ होगा जो इंडियन क्वायनेज ऐक्ट' १९०६ में शब्द 'मिंट' के लिये दिया गया हो; ऐक्ट संख्या ३, १९०६

*५ मई, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

(ग) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(झ झ) 'सीलबन्द पैकेट या पात्र' का तात्पर्य किसी ऐसे छोटे बण्डल, बोतल, पेटिका, टीन, लकड़ी का पीपा (बैरेल), खोल, आधान, थैला, बोरा, वेष्टक या अन्य चीजों से है जिनमें कोई वस्तु रक्खी जाय अथवा बन्द की जाय और जो उसकी अन्तर्वस्तुओं के साथ किन्तु बिक्री के समय उक्त अन्तर्वस्तुओं की तौल या माप किये बिना बेचने के लिए अभिप्रेत हो"; और

(घ) खण्ड (ञञ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात्:—

"(ञञ) व्याकरण संबंधी परिवर्तनों तथा सजातीय पदों सहित व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त' का तात्पर्य—

(क) किसी ऐसी संविदा में या उसके संबंध में' चाहे वह बिक्री 'क्रय' विनिमय अथवा अन्य प्रकार की हो; या

(ख) किसी अधि-शुल्क' पथकर शुल्क या अन्य देयों के निर्धारण में या उसके संबंध में हो; या

(ग) किये गये किसी ऐसे कार्य या की गयी किन्हीं ऐसी सेवाओं के निर्धारण में या उनके संबंध में जो शोध या वैज्ञानिक अध्ययन के संबंध में अथवा गृहस्थी के प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक गृहस्थी के संबंध में किये गये कार्य या की गयी सेवाओं से भिन्न हो, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन, धारणशक्ति या भार की माप में किसी वस्तु की मात्रा का अवधारण करने या उसकी घोषणा करने के लिए प्रयुक्त से है;"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—३

धारा ७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ७ में' उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायें, अर्थात्—

"(१) किसी अन्य विधि अथवा किसी रूढ़ि' प्रथा या चलन में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के पश्चात्, किसी ऐसे क्षेत्र में अथवा माल या व्यवसाय संस्थाओं के ऐसे वर्ग के जिसके संबंध में यह धारा प्रवृत्त हो गयी हो, व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में, किसी मानक बांट या माप के अतिरिक्त कोई धन या माप की इकाई प्रयोग में नहीं लायी जायगी और न उसे किसी ऐसे भूगृहादि में रक्खा जायगा जहां पर सामान्यतया ऐसे व्यवहार किये जाते हों।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया कोई व्यवहार शून्य होगा।"

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड---४

४---मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) में शब्द "कोई व्यवहार, अथवा संविदा" के स्थान पर शब्द "व्यापार या वाणिज्य का कोई व्यवहार" रख दिये जायें। धारा ८ का संशोधन

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड---५

५---मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय बढ़ाया जाय, अर्थात्:--- नया अध्याय २-क का बढ़ाया जाना

"अध्याय २-क

व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में बांट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्रों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का निबन्धन

८-क (१)-कोई भी व्यक्ति जो परिभ्रामी विक्रेता न हो' व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में कोई बांट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का व्यवसाय के साधारण दौरान में तब तक प्रयोग न करेगा जब तक कि वह नियत अवधि के भीतर नियंत्रक से अपना निबन्धन न करा ले और उसके प्रतीक स्वरूप उनसे एक प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर ले।

व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में बांट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्रों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का निबन्धन

(२) उपधारा (१) के अधीन निबन्धन के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र नियंत्रक को दिया जायगा और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायें।

(३) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाय कि निबन्धन का प्रार्थना-पत्र ठीक है' तो वह प्रार्थी का निबन्धन करेगा और उसको नियत प्रपत्र में निबन्धन का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।"

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड---६

६---मूल अधिनियम की धारा १० में शब्द "प्रयुक्त किया जायगा" के स्थान पर शब्द "प्रयुक्त किया जायगा और न प्रयुक्त करने के लिए रक्खा जायगा" रख दिये जायें। धारा १० का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७—२१

धारा १२ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द "मापने के यंत्र" और शब्द "का निर्माण के" बीच में शब्द "अथवा उसके किसी भाग" बढ़ा दिये जायें।

धारा १३ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १३ के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायें, अर्थात्:—

"किन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी:—

(१) किसी ऐसे सीलबंद पैकेट या पात्र पर जिसके भीतर रखी गयी वस्तु का शुद्ध भार—

(क) बिस्कुट, कनफेक्शनरी या अन्य मिठाइयों की दशा में १२० ग्राम से कम हो; या

(ख) किसी अन्य खाद्य पदार्थ की दशा में, ६० ग्राम से कम हो; या

(२) किसी ऐसे अन्य वस्तु पर जो साधारणतया बांट या माप के अनुसार न बेची जाती हो;

परन्तु यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी वर्ग के सीलबन्द पैकेटों या पात्रों के आकार के कारण इस धारा के उपबन्धों का पालन करना अव्यावहारिक है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे वर्ग को इस धारा के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।"

नयी धारा १३—क का बढ़ाया जाना

९—मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

मानक बांट या माप से भिन्न बांट या माप के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य या उसकी मात्रा बताने पर निषेध

"१३—क—कोई भी व्यक्ति व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में मानक बांट या माप के अभिधान से भिन्न बांट या माप के अभिधान के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य या उसकी मात्रा नहीं बतायेगा।"

धारा १६ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

(१) उपधारा (१) में, शब्द "जो ऐसे प्रयोग के लिए किसी भू-गृहादि में हो" के स्थान पर शब्द "जो किसी ऐसे भू-गृहादि में हों जहां पर सामान्यतया ऐसे व्यवहार किये जाते हों" रख दिये जायें, और शब्द "बांट अथवा तोलने या मापने के यंत्र" के स्थान पर "बांट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र" रख दिये जायें।

(२) उपधारा (३) में शब्द "समस्त बांटों, मापों, तोलने अथवा मापने के यंत्रों को, जो उसके द्वारा प्रयोग किये जाते हों अथवा जो उसके

कब्जे में हो अथवा जो व्यापार के लिए प्रमुख होने वाले किसी भू-गृहादि में रक्खे हुए हो "के स्थान पर शब्द "समस्त बांटों" "मापों" तोलने और मापने के यंत्रों को" जो उसके द्वारा व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त किये जाते हों अथवा जो उसके कब्जे में हों अथवा किसी ऐसे भू-गृहादि में रक्खे हुए हों जहां पर सामान्यतया ऐसे व्यवहार किये जाते हों" रख दिये जायं;

(३) उपधारा (५) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय" अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त पैकेट या पात्र को उसमें रक्खी हुई वस्तु को क्षति पहुंचाये बिना फिर से सीलबन्द करना सम्भव न हो तो निरीक्षक पैकेट या पात्र को उसमें रक्खी हुई वस्तु सहित ऐसा मूल्य देकर खरीद लेगा जिसकी गणना उस दर पर की जायगी जिस पर वह वस्तु सामान्यता जनता को बेची जाती है।"; और

(४) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण: यदि किसी भू-गृहादि का प्रयोग आंशिक रूप से व्यापार और आंशिक रूप से निवास के लिए किया जाता हो तो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे सम्पूर्ण भू-गृहादि को ऐसा स्थान माना जा सकता है जहां पर व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र प्रयुक्त किये जाते हों अथवा प्रयोग किये जाने के लिए रक्खे जाते हों।"

११—मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द तथा कामा "दिलवाता है" और शब्द "वह प्रथम अपराध" के बीच में शब्द तथा कामा "अथवा किसी ऐसे भू-गृहादि में जहां पर सामान्यतया ऐसे व्यवहार किये जाते हों मानक बांट या माप से भिन्न धन या माप की कोई इकाई रखता हो" बढ़ा दिये जायें। धारा २२ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "के यंत्र" और शब्द "का निर्माण" के बीच में शब्द "अथवा उसके किसी भाग" बढ़ा दिये जायें। धारा २५ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:— नई धारा २६-क का बढ़ाया जाना

निबन्धन न कराने के लिये शास्ति

"२६-क—जो व्यक्ति धारा ८-क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह अर्थ-दण्ड से दण्ड्य होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है।"

१४—मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:— नई धारा २७-क का बढ़ाया जाना

धारा १३-क का उल्लंघन करके मूल्य या मात्रा बताने के लिये शास्ति

"२७-क—जो व्यक्ति धारा १३-क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह अर्थ-दंड से दण्ड्य होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

धारा ३० का संशोधन

१५---मूल अधिनियम की धारा ३० में शब्द "निर्मित करता है, बेचता है या निस्तारित करता है अथवा निर्मित करवाता है, बिकवाता है या निस्तारित करवाता है" के स्थान पर शब्द "निर्मित करता है, उसकी मरम्मत करता है या उसे बेचता है अथवा निर्मित करवाता है, उसकी मरम्मत करवाता है या उसे बिकवाता है" रख दिये जायें ।

धारा ३१ के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

१६---मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :---

"३१---जो व्यक्ति---

संविदा आदि में बांट या माप के अनुसार निश्चित मात्रा से कम या अधिक मात्रा में किसी वस्तु को देने या लेने के लिये शास्ति

(१) किसी वस्तु को तोलकर या मापकर बेचते समय क्रेता को ऐसे बांट या माप के अनुसार उस निश्चित मात्रा से जितने के लिये उक्त वस्तु के संबंध में संविदा या व्यवहार किया गया हो, कम मात्रा में उस वस्तु को देता है अथवा दिलवाता है, या

(२) किसी वस्तु को तोलकर या मापकर खरीदते समय विक्रेता से ऐसे बांट या माप के अनुसार उस निश्चित मात्रा से जितने के लिये उक्त वस्तु के संबंध में संविदा या व्यवहार किया गया है, अधिक मात्रा में उस वस्तु को मांगता है या लेता है अथवा मंगवाता है या लिवाता है, वह अर्थ दण्ड से दण्ड्य होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।"

धारा ३३ का संशोधन

१७---मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायें ।

नयी धारा ३७-क का बढ़ाया जाना

१८---मूल अधिनियम की धारा ३७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :---

अपराधों के संबंध में समझौता

"३७-क (१) धारा २२ या धारा २४ के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध को छोड़कर, धारा २२, धारा २३, धारा २४, धारा २६, धारा २६-क, धारा २७, धारा २७-क, धारा ३१ या ३३ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा पश्चात् ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर जो वह उचित समझे, नियंत्रक द्वारा समझौता किया जा सकता है ।

(२) अपराधी द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने पर, अपराधी, यदि हिरासत में हो, तो छोड़ दिया जायगा और यदि अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध किसी फौजदारी न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित की गयी हो तो समझौता विमुक्ति समझा जायगा तथा ऐसे अपराध के लिये उसके विरुद्ध और कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की जायगी ।"

धारा ३९ का संशोधन

१९---मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में जहां-जहां भी शब्द "संचालक" आया हो, उसके ठीक पूर्व शब्द तथा कामा "मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रटरीज और ट्रेजरार्स" बढ़ा दिये जायें ।

२०--मूल अधिनियम की धारा ४३ में:-- धारा ४३ का संशोधन

(१) उपधारा (२) में,

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:-

"रीति जिसके अनुसार बांटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का धारा १० के अधीन परीक्षण, पुनः परीक्षण तथा मुद्रांकन किया जायगा ;";

(ख) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय:--

"(च) उन बांटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण जो व्यापार तथा वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त होते हों अथवा जो ऐसे भू-गृहादि में रक्खे हुये हों जहां पर सामान्यतया ऐसे व्यवहार किये जाते हों ;"

(ग) खंड (छ) में शब्द तथा कामा "उन बांटों तथा मापों के जो इस अधिनियम द्वारा अनुगत नहीं है," के स्थान पर शब्द "धारा १६ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों और अन्य वस्तुओं का" रख दिये जायें ;

(घ) खंड (ज) में शब्द तथा कामा "बहियों" निकाल, दिये जायें ;

(ङ) खंड (य) में शब्द "और उनका निर्माण तथा विक्रय" निकाल दिये जायें ; और

(च) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(ञ-१) धारा ८-क के अधीन अवधि जिसके भीतर निबन्धन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जायगा, ब्योरे जो उसमें दिये जायेंगे, और प्रपत्र जिसमें निन्बधन का प्रमाण-पत्र दिया जायगा; " ; और

(२) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिकों सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

२१--मूल अधिनियम की धारा ४३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:-- नयी धारा ४४ का बढ़ाया जाना

अपवाद

"४४--इस अधिनियम की कोई बात संघ के सुरक्षा मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन किसी यूनिट या अधिष्ठान में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं बांटों या मापों अथवा तोलने या मापन के यंत्रों पर लाग न होगी।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ से २१ तक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५९

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब सर्तकता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी।

(किसी माननीय सदस्य के बोलने के लिये न खड़े होने पर)

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जो प्रतिवेदन था वह हमने बांट दिया, इस पर जो माननीय सदस्य बोलते और कुछ कहते तो हम उसका जवाब देते। जब कोई बोलने के लिये तैयार नहीं है तो यह आइटम समाप्त हुआ समझा जाय।

श्री अध्यक्ष--

तो यह समाप्त हुआ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने चूंकि अब कोई काम शेष नहीं है, अतः इसे साइनाडाइ-ऐडजोर्न कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

(किसी के आपत्ति न करने पर) साइनाडाइ पोस्टपोन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें एक अपवाद यह रहेगा कि समितियों के जो इलेक्शन हैं वे होते रहेंगे।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

इलेक्शन तो सदन के बिना भी हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि लोक सभा में यह रूलिंग हो चुकी है कि इलेक्शन भी प्रोसीडिंग्स आफ दि हाउस हो सकता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि वह अपवाद रहे कि इलेक्शन होते रहें, ताकि कोई कानूनी दिक्कत न रहे। कोई कार्य न होने पर इलेक्शन होते रहें, यह अपवाद रहेगा। अब हम उठते हैं बिला किसी तारीख के।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ५५ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
११ मई, १९६६।

नत्थी "क"

[देखिये नियम ३०(४) के तारांकित प्रश्न सं० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२४ पर]

संलग्नक

सं०	सड़क का नाम	शासन से स्वीकृत अनुमानित लागत (लाख रु० में)	लम्बाई मील में	विभाग का नाम किसकी देख रेख में काम हो रहा है	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
१	सैदाबाद से सिरसाघाट (सिरसिया)	१–५०	५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	शासन से स्वीकृत धनराशि में केवल ३ मील सड़क ही बन सकेगी। शेष २ मील के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।
२	बरौत से दुर्गागंज ..	२–६०	८	जिला परिषद्	पूरी सड़क पर लगभग ४ लाख रुपये व्यय होने की आशा है।
३	जंघई से दुर्गागंज ..	१–८०	३	,,	
४	धानूपुर बिठौली ..	६–२६	६–१	सा० नि० वि०	

नत्थी "ख"

[देखिये नियम ३०(४) के तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२५ पर]

प्रतिष्ठान एवं कारखाने जिन्होंने देय बोनस का भुगतान नहीं किया है और उनसे बोनस भुगतान करवाने के लिए की गयी कार्यवाही का विवरण।

१--कल्यानपुर कोल्ड स्टोरेज, कल्यानपुर ..	मार्च, १९६६ में भुगतान करने का वचन दिया
२--महेन्द्र आटो मोबाइल, कल्यानपुर ..	,, ,, ,,
३--बाजपेई आइरन स्टोर्स ..	,, ,, ,,
४--नगीना रोलिंग स्टोर्स ..	प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया है और उन्हें देय बोनस का भुगतान करने के लिये आग्रह किया जा रहा है।
५--औरंम इन्डस्ट्रीज ..	,, ,, ,,
६--नेशनल प्रेस ..	,, ,, ,,
७--सिटीजन प्रेस ..	,, ,, ,,
८--बार्क्स एन्ड काटन लिमिटेड ..	,, ,, ,,
९--अम्बेरेला रिब्स फैक्ट्री ..	,, ,, ,,
१०--कानपुर गलवनाइजिंग वर्कर्स ..	,, ,, ,,
११--मार्डन एशिया इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ..	,, ,, ,,
१२--नेशनल स्टील इन्डस्ट्रीज जूही ..	,, ,, ,,
१३--करुणा सेफ वर्क्स ..	,, ,, ,,
१४--मातादीन हरीनाथ काटन वेस्ट फैक्ट्री ..	,, ,, ,,
१५--कृष्ण स्टील वर्क्स ..	,, ,, ,,
१६--कानपुर आयरन ब्रास एन्ड फलावर मिल्स ..	,, ,, ,,
१७--मेटल इन्डस्ट्रीज फैक्ट्री एरिया ..	,, ,, ,,
१८--फिटवेल प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज ..	,, ,, ,,
१९--विश्वामित्र कार्यालय ..	,, ,, ,,
२०--हिन्द फ्लाइंग क्लब ..	,, ,, ,,
२१--म्योर मिल्स टेन्ट फैक्ट्री ..	बन्द पड़ी है।
२२--म्योर मिल्स टेन्ट फैक्ट्री ..	,, ,,
२३--बिट्टा पिक्कर एन्ड कं० लि० ..	बोनस ऐक्ट से छूट के लिये प्रार्थना की है।
२४--हिन्दुस्तान रोल चेन्स ..	खाते निरीक्षण हेतु मंगाये गये हैं।
२५--के० टी० वायर प्रोडक्ट्स ..	,, ,, ,,
२६--अरोड़ा स्टील इन्डस्ट्रीज ..	,, ,, ,,
२७--एम० बी० पाइप इन्डस्ट्रीज ..	,, ,, ,,
२८--नैशनल आइरन एन्ड स्टील कारपोरेशन ..	,, ,, ,,

२९--सिंह वेगन फैक्ट्री .. निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

३०--भारत भन्डार .. ,, ,, ,,

३१--मेसर्स डेली टेलीग्राफ कानपुर .. शो काज नोटिस दिया गया है।

३२--मेसर्स सी० पी० टिम्बर वर्क्स, कानपुर .. ,, ,, ,,

३३--मेसर्स गुरूनानक इन्डस्ट्रीज, कानपुर .. ,, ,, ,,

३४--जाब प्रेस कानपुर .. ,, ,, ,,

३५--मेसर्स जे०के० काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कानपुर। शो काज नोटिस दिया गया है।

३६--मेसर्स सिक्योरिटी प्रिन्टर्स, कानपुर .. ,, ,, ,,

३७--देवेन्द्र ब्रादर्स कम्बल फैक्ट्री, जूही, कानपुर .. ,, ,, ,,

३८--मेसर्स के० टी० डोमरे एन्ड कं०, कानपुर .. ,, ,, ,,

३९--मेसर्स बृजेन्द्र प्रताप सिंह एन्ड ब्रदर्स, कानपुर .. ,, ,, ,,

४०--मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० कानपुर · ३०-४-६६ तक अवधि निस्तारण करने की अनुमति प्रदान की गई।

४१--मेसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि० कानपुर ३१-३-६६ तक अवधि निस्तारण करने की अनुमति प्रदान की गई।

४२--मेसर्स कानपुर वाटलिंग लि०, कानपुर .. २८-३-६६ तक अवधि निस्तारण करने की अनुमति प्रदान की गई।

४३--मेसर्स आर्मी पुलिस एक्युपमेन्ट सप्लाई कं० कानपुर ३१-३-६६ तक अवधि निस्तारण करने की अनुमति प्रदान की गई।

नत्थी "ग"

(देखिये नियम ३६(२) तारांकित प्रश्न सं० ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२७ पर)

संलग्नक 'क'

विकास क्षेत्र	कार्य की प्रगति
१--करलिया कलां	१--शिकारपुर बैजपुर घाट सड़क से ५ मील लम्बी २-५० लाख रुपये की लागत की स्वीकृत हुई थी जिसमें से साढ़े चार मील का कार्य पूरा हो चुका है, शेष आधा मील का भी कार्य शीघ्र ही समाप्त होने की संभावना है।
	२--नहर के किनारे गाड़ी का मार्ग (शार्ट ट्रैक) बनाने का काम ०-२० लाख रुपये की लागत से शासन से स्वीकृत है जिस पर काम किया जा रहा है। यह मार्ग फरवरी, १९६६ तक १० मील ६फर्लांग बन चुका है।
	३--६ मील ५ फर्लांग लम्बाई की सिदकीकपुर जामुहाई सड़क का निर्माण कार्य जिला परिषद् को सौंपा गया था। इसकी स्वीकृति लागत ४.६९ लाख रुपये है। पूरी सड़क पर मिट्टी का कुछ कार्य किया गया है। इसके अलावा पुलिया तथा माइल स्टौन लगाने का भी कार्य हुआ है। अब तक इन कार्यों पर ९८,०००-०० रु० व्यय हुआ है।

नत्थी "घ"

(देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्र० सं० ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२९ पर)

उन सड़कों की सूची जो कि ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले में स्वीकृति है।

जिला गोंडा

संख्या	ब्लाक का नाम	सड़क का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)
१	छपिया ..	१--सिंगारघाट-भसकनवा सड़क तथा उसके तथा उसके पुल ४ मील।	४-१०
		२--मनकापुर भसकनवा छपिया बभनान सड़क (आंशिक भाग)	६-४०
		योग ..	१०-५०
२	परसपुर ..	पसका-परसपुर सड़क ७-५ मील ..	६-१२
		योग ..	६-१२
३	इन्टिया थोक ..	राजकीय नलकूपों की सड़कों (सर्विस रोड) को पक्का करना (१२-५ मील)।	३-२५
		योग ..	३-२५
४	उतरौला ..	१--माधव गंज-गेंदास बुजुर्ग सड़क ३ मील।	२-२५
		२--नवाब गंज-उतरौला सड़क ८ मील ..	२-०७
		३--उपरौला-गौरा चौकी सड़क ..	३-२०
		योग ..	७-५२
५	बलरामपुर ..	१--बलरामपुर-उतरौला सड़क १० मील	२-४६
		२--महेश्वरी-भंजेसुआ सड़क ३-५ मील	०-१०
		३--श्रीनगरजुआ-श्रीनगर महन्त सड़क ७ मील।	०-२१
		४--बेलहा-भगवानपुर सड़क ४ मील ..	०-२७
		योग ..	३-०४

संख्या	ब्लाक का नाम	सड़क का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)
६	मनकापुर ..	१--मनकापुर–मछली गांव सड़क ..	३–७५
		२--मनकापुर–नवाबगंज–उतरौला सड़क १३ मील ।	३–००
		३--बभनान–मसकनवा सड़क ६ मील ..	३–००
		योग ..	९–७५
७	रेहराबाजार ..	रेहराबाजार से बरई भाल सड़क ५–५– मील	४–१०
		उतरौला रेंज की जंगल सड़क ३ मील।	०–९०
		योग ..	५–००
		कुल योग ..	४५–१८

नत्थी "ङ"

[देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्र० सं० १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२९ पर]

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम		गांव का नाम		सहायता जो दी गई
१	२		३		४
१	श्री मान सिंह	..	भोयस	..	६६-००
२	श्री तेज पाल	..	नाधा	..	१००-०० (दो कुटियों के लिये)
३	श्री रघुवर दयाल गुप्ता	..	शहनगगर पटपरागंज	..	५०-००
४	श्री बादाम सिंह	..	शादीपुर	..	५०-००
५	श्री राम सिंह	..	मलिकपुर विचौला	..	५०-००
६	श्री प्रभु	..	मलिकपुर विचौला	..	५०-००
७	श्री पलन्दर सिंह	..	वथला इस्मायलपुर	..	५०-००
८	श्री प्रेम शंकर	..	दहगवां	..	५०-००
९	श्री खेदा लाल	..	दहगवां	..	५०-००
			योग	..	५१६-००

जिला नियोजन अधिकारी,
बदायूं।

परिशिष्ट 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्र० सं० २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३१ पर]

सूची

नाम	विकास खंड	व्यय ६-१-१९६६ तक लाख रुपयों में
१	२	३
१ बानपुर	.. ..	१-२१
२ सक्कदीहा	.. ..	२-१०
३ चहेनिया	.. ..	१-२७
४ साहबगंज	.. ..	४-४८
५ नियाताबाद	.. ..	१-२१
६ चन्दौली	.. ..	५-१०
७ ज्ञानपुर	.. ..	२-०६
८ सुरिवापा	.. ..	०-८७
९ चकिया	.. ..	४-०४
१० सेवापुरी	.. ..	०-२८
११ बड़नी	.. ..	०-७१
१२ नौपढ़	.. ..	८-४५
१३ डीघ	.. ..	३-०५

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्र० सं० २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३१ पर]

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश भारत सेवक समाज को वित्तीय १९६३–६४ व ६४–६५ में दिये गये अनुदान का विवरण ।

१—सामुदायिक विकास–ख–विभाग

१९६३–६४

	रु०
(१) भारत सेवक समाज द्वारा संचालित पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र प्रतापगढ़ ।	९१३७–२५
(२) भारत सेवक समाज द्वारा संचालित लोक कार्य क्षेत्र नौफील, मथुरा ।	४४५०–००
(३) भारत सेवक समाज द्वारा संचालित लोक कार्य क्षेत्र कौरीरामें गोरखपुर ।	४४५०–००
योग ..	१८,०३७–२५

१९६४–६५

(१) भारत सेवक समाज सचिवालय यूनिट, लखनऊ ..	७५०–००
(२) पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र प्रतापगढ़	११,३५२–७७
(३) लोक कार्य क्षेत्र नोफील, मथुरा	४४५०–००
(४) लोक कार्य क्षेत्र कौराराम, गोरखपुर ..	४४५०–००
योग ..	२१,७०२.७७

भारत सेवक समज ने इस वर्षों में दी गई सहायता का व्यय दौरा सरकार के पास भेजा है।

२—समाज कल्याण विभाग

१९६३–६५

उत्तर प्रदेश भारत सेवक समाज क मुख्यालय के रसरसरच (maiar-Maintenance) के लिये । १०,०००–००

१९६४–६५

कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया .. .. ..

भारत सेवक समाज ने उपरोक्त अनुदान का व्यय व्योरा सरकार के पास भेज दिया है।

३—विकास विभाग

१९६३–६४

भारत सेवक समाज क रैन बसेरा निर्माण समिति को मलिन बस्ती सुधार एवं निपातन (clearance) योजना के अन्तर्गत आगरा में पसैरा निर्माण हेतु १३,३२५–००

१९६४–६५

कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया .. .. ..

चूंकि रैन बसेरा (जो कि रु० २९३२० को लागत से बना है बन जाने के पश्चात् अनुदान स्वीकृत हुआ अतः व्यय व्योरा भेजने का प्रश्न नहीं उठा।

नत्थी 'ज'

[देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्र० सं० २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४० पर]

१९६३–६४ सिंचाई कूप निर्माण			नलकूप			१९६४–६५ सिंचाई कूप निर्माण			नल कूप		
सं० प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुए	सं० जिन पर तकावी दी गई	सं० प्रार्थना पर तकावी नहीं दी गई	सं० प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुए	सं० जिन-पर तकावी दी गई	सं० जिन-पर तकावी नहीं दी गई	सं० प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुए	सं० जिन-पर तकावी दी गई	सं० जिन-पर तकावी नहीं दी गई	सं० प्रार्थना पत्र जो प्राप्त	सं० जिन-पर तकावी दी गई	सं० जिन-पर तकावी नहीं दी गई
३७	१६	२१	१	१	..	६१	५७	४	५	३	२

नत्थी 'अ'

(देखिये ता० प्र० सं० ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४१ पर)

(वर्ष १९६४–६५ में श्री राम यज्ञ सिंह, भूतपूर्व क्षेत्र विकास अधिकारी कोयलसा आजमगढ़) के विरुद्ध जो शिकातें प्राप्त हुई थी उनका विवरण निम्नांकित है :—

शिकायत का संक्षिप्त विवरण

१—श्री दया राम भास्कर, अध्यक्ष आदर्श चर्म कला उद्योग सहकारी समिति कोयलसा का शिकायती पत्र दिनांक ६–७–६४, ४–८–६४ एवं २३–८–६४ जिसमें निम्नलिखित आरोप है :

(१) खंड विकास अधिकारी, कोयलसा ने आदर्श चर्म सहकारी समिति कोयलसा को ३००० रु० का अनुदान और उसका १/३ का अग्रिम भुगतान नहीं किया खंड विकास अधिकारी ने बेकार रद्दी और महंगा सामान समिति को देने के लिये भंगवाया। खंड विकसा अधिकारी ने समिति को नोटिस देकर धमकाया कि उनके द्वारा क्रय किये हुए सामान लें जायें अन्यथा किसी दूसरे को सामान दे दिया जायेगा।

जांच का परिणाम

इनकी जांच जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ ने की और जांच रिपोर्ट शासन को विधान सभा के १९६५ के प्रथम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या ३०, ३१, ३२ के उत्तर में भेजी गई थी। तदोपरान्त इस कार्यालय द्वारा फरवरी १९६६ में क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध नवीन जांच तथा अनुशासन की कार्यवाही करने हेतु उस विकास आयुक्त गोरखपुर को भेजा। अतः श्री राम यज्ञ सिंह पर आरोप पत्र लगाया जा रहा है।

२—शिकायत का संक्षिप्त विवरण

श्री अब्दुल रऊफ, मातवर राम, विकानू राम, सनेही संकठा प्रसाद तथा शीतल प्रसाद का शिकायती पत्र जिसमें १५० बोरी सीमेन्ट के विवरण की गड़बड़ी की शिकायत थी।

जांच का परिणाम

इस मामले की जांच जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ ने जिलाधीश के आदेशानुसार की थी और बाद में जांच रिपोर्ट उप विकास आयुक्त, गोरखपुर के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी। यह रिपोर्ट अपूर्ण पाई गई है चूंकि चोर बाजारी एक अपराध है इसलिये यह मामला जिलाधीश, आजमगढ़ को पुलिस द्वारा जांच तथा कार्यवाही करने हेतु भेज दिया गया है।

नत्थी 'अ'

(देखिये ता० प्र० सं० ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४२ पर)

श्री रुद्र दत्त गिरी द्वारा क्षेत्र विकास अधिकारी, केराकत, जौनपुर के विरुद्ध दो शिकायती पत्र जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है परगनाधीश केराकत को रेफित किये गये थे। उपरोक्त दोनों पत्रों में क्षेत्र विकास अधिकारी तथा विकास के अन्य अधिकारी। कर्मचारी के विरुद्ध शासकीय धन का दुरुपयोग तथा गबन आदि के आरोप थे। प्रथम शिकायती पत्र में निम्नांकित ५ तथा दुसरे शिकायती पत्र में तीन आरोप थे। परगनाधीश, केराकत की दो जांच रिपोर्टों में जो शिकारिसें की गई है वह प्रत्येक आरोप के सामने अंकित कर दी गई है।

शिकायती पत्रों में दर्शाये गये आरोप	परगनाधीश की शिफारिशें
प्रथम शिकायती पत्र १—गांधी जी के जन्म दिवस २ अक्टूबर सन १९६० को आयोजित किये गये दंगल के उपलक्ष में जनता के चन्दे को तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी केराकत तथा देव नरायन सिंह प्रधान केराकत ने अपने पैसे के रूप में स्तेमाल किया।	इस आरोप के विषय में न्यायालय पुलिस द्वारा छानबीन करने की अनुशंसा दी।
२—रतनपुर ग्राम में ३००० रु० शासकीय अनुदान तथा इतने ही चन्दे द्वारा थर्ड क्लास ईंटों से पुलिया निर्माण कराकर बाकी सब रुपया संबंधित लोग एवं तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी केराकत ठेकेदार से मिल कर खा गये।	इसके बारे में न्यायालय ने किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने की अनुशंसा दी।
३—तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी केराकत ने २५०–२५० रु० मूर्ति पालन हेतु श्री लालता प्रसाद सिंह ग्राम डेड़ खाना एवं सर्व श्री सुन्दर एवं संग्राम खटिक को कमीशन देकर शासकीय अनुदान स्वीकृत किया	इसके विषय में भी न्यायालय मामले की जांच पुलिस द्वारा हो कराने की अनुशंसा की।
४—तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी ने सुल्तानपुर में दो हजार पांच सौ रुपये से बिलकुल खराब ईंटों से पुलिस का निर्माण कराया तथा बी० डी० ओ० और ठेकेदार लगभग एक हजार रु० खा गये इसी प्रकार भौरा ग्राम में कई पुलियों का निर्माण कराया तथा बी० डी० ओ० एवं ठेकेदार ने रुपया खाया।	इसके बारे में न्यायालय ने किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा जांच कराने की अनुशंसा की तथा जिला अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक निर्माण का साइट प्लान (siteplan) तथा इस्टीमेट बनवाकर जांच करा की अनुशंसा की गई।
५—तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी दीनाकम्पनी वाराणसी से फर्जी कोटेशन द्वारा सामान खरीदते रहे तथा वह और उनके चट्टे बट्टों ने काफी पैसा कमीशन में खाया तथा सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया।	इसके बारे में न्यायालय द्वारा कुछ अनुशंसा नहीं की गई है।

शिकायती पत्रों में दर्शाये गये आरोप	परगनाधीश की शिफारिशें
दुसरा शिकायती पत्र १—सराय बीख ग्राम में १६०० रु० के शासकीय अनुदान से चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण रद्दी ईंटों से करा कर तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी केराकत ठेकेदार से मिलकर काफी रुपया खा गये।	इसके विषय में न्यायालय ने किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा जांच कराने की अनुशंसा की।
२—शिव रामपुर ग्राम में ढाई हजार रुपये के अनुदान से वाटर रेगुलेटर बनवाकर तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी, केराकत एवं ग्राम प्रधान, शिव रामपुर ने सरकारी रुपये का दुरुपयोग किया क्योंकि ये काफी भ्रष्टावशा में है	इसके संबंध में न्यायालय ने मामले की जांच पुलिस द्वारा कराने की अनुशंसा की।
३—कम्पोस्ट पिट्स थर्ड क्लास ईंटो से बनवाकर तथा कु बिलकुल ही न बनवाकर तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी ठेकेदार से मिलकर काफी रुपया खा गये।	इसके विषय में भी मामले की छानबीन पुलिस द्वारा करने की अनुशंसा न्यायालय ने की तथा यह निदेश दिया कि संबंधित अधिकारी इस बात को देखें कि नियमों की खामियों के कारण ग्रान्टीज फंड वाउचर प्रस्तुत करके सरकारी अनुदान का अनुचित लाभ न उठा सके।

इस संबंध में पुलिस तथा जिला इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जांच करायी गई पुलिस द्वारा अपराध संख्या ६०, ६१, ६२ तथा ६३ के केश धारा ४०९, ४६८, ४७१, ४०६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किये गये और उनकी जांच की गई। पुलिस तथा जिला इंजीनियर की जांच द्वारा यह ज्ञात हुआ कि सरकार ने जिस कार्य के लिये जितना धन दिया था उससे अधिक ही खर्च हुआ और राजकीय धन का अपहरण होना नहीं पाया गया। अतः मुकदमों में सबूत काबिल बालान अदालत न पा कर पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दी गई जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

प्रेमचंद श्रीवास्तवा,

उप विकास आयुक्त।

नत्थी 'ट'

(देखिये ता० प्र० सं० ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ७४२ ..पर)

(१) नियमावली के अनुसार समिति का अवैतनिक मंत्री सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना चाहिए परन्तु १९५४–५५ से १९६०–६१ तक समिति अवैतनिक मंत्री को नामिनेट करती रही।

(२) समिति ने सदस्यों को ऋण वितरण में अपने हिसाब किताब में सही इन्दराज नहीं किया।

(३) वर्ष १९५७–५८ में १७०२–०० का लाभ वितरण किया गया था परन्तु उसका कोई हिसाब नहीं रखा गया जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह धन बांटा गया था या नहीं।

(५) समिति ने सदस्यों को हिस्सा वापसी के इन्दराज अपने रिकार्डस में सही नहीं रखे। सदस्यों को हिस्सा प्रमाण पत्र से अधिक धन देना दिखाया गया है।

(५) समिति ने मनमाने ढंग से और नियमों के सर्वथा विपरीत अवैतनिक मंत्री को १५८७४–०० का ऋण दिया।

(६) समिति के ऋण वितरण के हिसाब में ११९३३०–०० का अन्तर पाया गया। समिति के रिकार्डों से यह पता नहीं चलता कि उक्त धन सदस्यों में बांटा गया या गबन कर लिया गया।

(७) समिति के कई महत्वपूर्ण रिकार्ड, जैसे सदस्य रजिस्टर, अधूरे रखे गए थे।

(८) समिति ने १–१०–६० को अपना कार्य करना बन्द कर दिया था जिससे सदस्यों में अत्यन्त असंतोष फैल गया था।

समिति ने विभागीय अधिकारियों द्वारा अगस्त, १९६० में किए गए निरीक्षण व कई स्मरण पत्रों के उपरान्त भी अनुपालन नहीं किया।

नत्थी 'ठ'

(देखिये ता० प्र० सं० ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४३ पर)

समिति के प्रबन्ध को जब विभाग द्वारा टेक ओवर किया गया उस समय समिति के कुछ रिकर्ड्स कई मुकदमों के सम्बन्ध के कचहरी में थे तथा कुछ कूपर एलेन कं० के प्रबन्धकों की हिरासत में थे जिन्हें प्राप्त करने में लगभग ६ माह का समय लग गया। ये प्राप्त रिकर्ड कई महत्वपूर्ण दिशाओं में अपूर्ण जैसे उदाहरणार्थ कैश बुक में कई स्थानों पर पन्ने फटे हुए थे और गायब थे सदस्यों के खातों का कोई रजिस्टर प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उसके स्थान सदस्यों के नाम के कुछ लूज कार्डस मिले।

रिकर्ड्स हस्तगत करने के बाद निम्नलिखित कार्य किए गए :—

१—समिति के नाम के संशोधन का निबन्धन कराया गया था।

२—समिति के कार्य को २९-२-६४ से चालू किया गया।

३—३२३६९-७५ पैसे के चार अर्जी दावा तैयार किए गए तीन पर आरबिट्रेटर नियुक्त हो चुका है कैश की सुनवाई अभी शुरु नहीं हुई है चौथे अर्जी दावा में आरबिट्रेटर नियुक्त होना बाकी है।

४—१२०००-०० के गबन के मामले जांच में पाये गए है उनकी छानबीन के बाद मामले में अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

५—सदस्यों को बुला बुला कर उनके हिसाब किताब की जांच की गई और सदस्य रजिस्टर पूर्ण कर लिया गया है।

जहां तक समिति की लेखा की प्रश्न है सहकारी समितियों के हिसाब किताब को बताना जनहित में नहीं होगा।

नत्थी 'ड'

(देखिये ता० प्र० सं० ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४९ पर)

वाराणसी जिले में वर्ष १९६४ तथा १९६५ में प्रत्येक ब्लाक में बनाए गए सिंचाई के कूपों का विवरण

विकास खन्ड का नाम	तकाबी से बने पुल की संख्या	
	वर्ष १९६४–६५	वर्ष १९६५–६६
१—औराई ..	.. ९	८
२—आराजी लाइसेन्स ..	.. १७	२९
३—काशी विद्यापीठ ..	.. ३७	४९
४—चकिया ..	.. ३३	३९
५—चन्दौली ..	.. ५	२६
६—ज्ञानपुर ..	.. २	९
७—चिरई मांप ..	.. ३०	५१
८—पिन्डारी ..	.. ५४	२६
९—चहनिया ..	.. ३७	२३
१०—नियमतावाद ..	.. ७	३
११—थानापुर ..	.. ५	१
१२—बरहनी ..	.. ११	२०
१३—शाहगंज ..	.. ३३	३३
१४—बड़ागां ..	.. २०	४३
१५—लेवापुरी ..	.. २०	३६
१६—डीप ..	.. १०	२
१७—चोछापुर ..	.. ५०	३५
१८—शकलडीहा ..	.. ३५	२७
१९—मदौही ..	.. ४१	३६
२०—हरखुआ ..	.. १०	१
२१—सुरियादां ..	.. १२	२०
२२—नीगड़ ..	.. १	१
योग ..	४७९	५०८

नत्थी 'ढ'

(देखिये अता० प्र० सं० ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५६ पर)

गोरखपुर जिले के धानी विकास क्षेत्र के उन गांवों की सूची जिन पर काम शुरू किया जा चुका है

गांव का नाम	व्यय (फरवरी, १९६६ तक)	गांव का नाम	व्यय (फरवरी, १९६६ तक)
	रु०		रु०
१—नकेली ..	२,५६५.५७	२१—घीपीर ..	१३,६६७.००
२—मझगांव ..	३,९१७.६५	२२—गायघाट ..	५,१२५.७४
३—गौरी बुजुर्ग ..	२,१९१.६४	२३—विशुनपुर ..	३,५२२.३०
४—मरहठा ..	१,५०८.१६	२४—चौका ..	१९,६२२.५५
५—बेहरी ..	५,२०१.२८	२५—रामकोला ..	५,६४६.४४
६—चकदहा ..	११,८२८.७७	२६—कनवापार ..	२,०५७.२५
७—मूसावर ..	७,६२४.२८	२७—इन्दरवार ..	१२,२०५.८२
८—खण्डवार ..	४,१०७.६८	२८—गुलराही ..	७,७५६.९६
९—भुजौली ..	७,७२४.४९	२९—बंजरहा ..	१३,४५०.९९
१०—मुरहारी ..	६,४७०.८६	३०—कोनी ..	४,०७२.३०
११—गौरी खुर्द ..	८८७.२२	३१—ताल बुजहा ..	११,७९१.०३
१२—मेजुका ..	७,४७२.३५	३२—धानी ..	४,५६२.२५
१३—रिगौली ..	८,९११.७२	३३—दोहरीघाट ..	२,५३१.५०
१४—कुण्डवार ..	४,४६७.१०	३४—बलुआ ..	३,५१३.८३
१५—कोयालडार ..	४,१७५.९४	३५—खड़सड़िया ..	१३,९२६.३५
१६—ककथा ..	२.५२	३६—कमनहा ..	५,०२४.९७
१७—पौवा ..	१,७८६.२९	३७—मरहरी ..	१,०४२.००
१८—संगड ..	१,२९२.३५		
१९—बरबा ..	८३९.५२	योग ..	२,४०,५४९.०५
२०—बेलसर ..	२८,०५४.३८		

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४७ एल० ए०—१९६६—८६२।